

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध उत्तराखण्ड के पॉलीटेकनिकों/तकनीकी संस्थानों में डिप्लोमा इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी एवं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु

संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेकनिक्स – 2012

(JEEP-2012)

विवरण पुस्तिका (INFORMATION BROCHURE)

आवेदन-पत्र का मूल्य (परीक्षा शुल्क सहित) :

- | | | |
|--|---|----------|
| 1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए | – | ₹ 250.00 |
| 2. अन्य सभी वर्गों के लिए | – | ₹ 450.00 |

आवेदन-पत्र प्राप्त एवं जमा करने की अन्तिम तिथि एवं स्थान :

1. आवेदन-पत्र उत्तराखण्ड में स्थित किसी भी पॉलीटेकनिक एवं परिषद कार्यालय से दिनांक 1 फरवरी 2012 से 31 मार्च 2012 तक क्रय किया जा सकता है एवं इसे भरकर अन्तिम तिथि 31-03-2012, सायं 5:00 बजे तक अपने नजदीकी पॉलीटेकनिक अथवा परिषद् कार्यालय में स्वयं जमा करें अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेजें। निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। डाक विलम्ब के लिये परिषद् उत्तरदायी नहीं होगी।
2. प्रदेश के बाहर आवेदन पत्र बिक्री किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रदेश के बाहर निवास करते हैं वे आवेदन पत्र निर्धारित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट, जो **सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, रुड़की** के नाम देय हो, एवं ₹ 30/- का डाक टिकट व 15"x12" का पता सहित लिफाफे को भेजकर मंगा एवं जमा कर सकते हैं।
3. अन्तिम तिथि 31-3-2012 के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन-पत्र जमा करने का कोई प्राविधान नहीं है।
4. आरक्षण सम्बन्धी विवरण अभ्यर्थी द्वारा सही भरा होना चाहिये। किसी भी दशा में एक बार आवेदन पत्र भरने के पश्चात् उसमें कोई परिवर्तन सम्भव नहीं होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र स्वयं सही-सही भरना चाहिए। यदि आवेदन-पत्र अपूर्ण रह जायेगा अथवा त्रुटिपूर्ण भरा जायेगा तो उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा और इसका पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।
5. ओ०एम०आर० आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अग्रसारण अधिकारी के हस्ताक्षर (डाक द्वारा जमा किये जाने की दशा में आवश्यक नहीं) होना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
6. आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी का नवीनतम एवं सुस्पष्ट फोटोग्राफ लगा होना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
7. अभ्यर्थी ओ०एम०आर० आवेदन पत्र भरने के पश्चात् जमा करने से पूर्व ओ०एम०आर० के दोनों ओर की छायाप्रति अपने पास सुरक्षित रख लें। प्रवेश पत्र समय से प्राप्त न होने की दशा में डुप्लीकेट प्रवेश पत्र प्राप्त करने हेतु इस छाया प्रति को जारीकर्ता को दिखना होगा।

नोट: उत्तराखण्ड के बाहर निवास करने वाले अभ्यर्थी (जिनके पास उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है) उसी दशा में आवेदन पत्र भरें यदि उनके द्वारा न्यूनतम अर्हता की परीक्षा उत्तराखण्ड से उत्तीर्ण की गयी हो।

सचिव,

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद

सुनहरा रोड, काशीपुरी, रुड़की।

पिन कोड : 247 667

दूरभाष-01332-266371

फैक्स- 01332-266349

वेबसाइट : www.ubter.in

ईमेल: ubte_roorkee@yahoo.com

अत्यन्त आवश्यक निर्देश

1. उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की द्वारा संचालित “संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेकनिक्स-2012” में सम्मिलित होने से अभ्यर्थी उन सभी नियमों, प्रतिबन्धों से आबद्ध हो जाता है जो इस विवरण-पुस्तिका में विभिन्न स्थानों पर दिये गये हैं या जिन्हें समय-समय पर परिषद् या राज्य सरकार परिवर्तित करे या लागू करे।
2. यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत सूचना प्रवेश से पूर्व/प्रवेश के समय या भविष्य में असत्य पायी जाती है तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
3. इस विवरण-पुस्तिका में दिये गये विवरण अभ्यर्थियों के सूचनार्थ तथा निर्देशार्थ है। अतः इसका उपयोग वर्णित कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिये मान्य नहीं होगा। वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र रूड़की में स्थित न्यायालय ही मान्य है। परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में परिषद् का निर्णय अन्तिम होगा तथा वे परिषद् के निर्देश मानने हेतु बाध्य होंगे।
4. अभ्यर्थी का चयन केवल इस वर्ष के लिये ही किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी किन्हीं कारणोंवश (अघोषित परीक्षाफल, अपूर्ण परीक्षाफल, पूरक परीक्षा, अंकतालिका न मिलने, टी.सी. न मिलने, अन्य वाँछित प्रमाण-पत्र न प्रस्तुत कर पाने आदि-आदि) प्रवेश की तिथि तक सभी वाँछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर प्रवेश नहीं ले पाता है, तो उसका चयन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और इसका उत्तरदायित्व परिषद् पर नहीं होगा तथा उसे अगले वर्ष प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
5. इस विवरण-पुस्तिका के अतिरिक्त परिषद् द्वारा अथवा उसकी ओर से अन्य किसी भी संस्थान द्वारा अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन/गाइडेन्स हेतु किसी प्रकार का कोई प्रकाशन नहीं किया गया है। यदि कोई संस्थान/परिषद् के नाम का दुरुपयोग करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
6. अभ्यर्थी को चाहिये कि आवेदन-पत्र जमा करने/भरने से पूर्व विवरण-पुस्तिका का भली-भाँति अध्ययन कर लें। आवेदन-पत्र संख्या तथा आरक्षण, उपवर्ग, फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि एवं संस्था तथा मांगे गये शहर का नाम (जहां से वह परीक्षा देना चाहता है।) अवश्य नोट कर लें, जिससे कि बाद में आवश्यकता पड़ने पर वह संदर्भ दे सकें।
7. अभ्यर्थी को चाहिये कि वह आरक्षण वर्ग तथा उपवर्ग प्रत्येक जगह सही-सही भरें तथा चेक कर लें कि उसको भेजे गये प्रवेश-पत्र पर अंकित उसका आरक्षण वर्ग तथा उपवर्ग सही है। त्रुटि होने पर परिषद् कार्यालय से तुरन्त सम्पर्क कर त्रुटि सुधार करवा लें। चयनित होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रारूपों पर संबंधित आरक्षण वर्ग/उपवर्ग का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न कर पाने पर अभ्यर्थी का चयन स्वतः ही समाप्त हो जायेगा और इस सम्बन्ध में उसका कोई भी दावा मान्य न होगा तथा यह चयन किसी भी स्थिति में अगले वर्ष के लिये मान्य नहीं होगा।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेकनिक्स – 2012

1. प्रस्तावना :

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रूड़की से सम्बद्ध उत्तराखण्ड के राजकीय/महिला/ग्रामीण/अनुदानित/निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं में चल रहे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु), फार्मसी, माडर्न आफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस तथा अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रमों जैसे- डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेन्ट एण्ड केटरिंग टेक्नोलॉजी, पी0जी0डी0सी0ए0 में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा पालीटेकनिक्स- 2012 का आयोजन “उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रूड़की” के तत्वाधान में होगा।

2.1 पाठ्यक्रम :

विभिन्न पॉलीटेकनिकों में चल रहे डिप्लोमा इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी/फार्मसी एवं अन्य पाठ्यक्रमों जैसे - होटल मैनेजमेन्ट एण्ड केटरिंग टेक्नोलॉजी एवं पी0जी0डी0सी0ए0 जिनमें संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रथम वर्ष में प्रवेश किये जायेंगे की सूची तथा पाठ्यक्रमों का विकल्प देने हेतु पाठ्यक्रम ग्रुप कोड एवं अन्य विवरण, विवरण-पुस्तिका के पृष्ठ-16 से 22 पर दिये गये हैं।

लेटरल एंट्री के माध्यम से इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु विवरण-पुस्तिका के पृष्ठ सं0 23 से 25 पर दिये गये हैं।

2.2 संस्था :

संस्थायें जिनमें अनुच्छेद 2.1 में वर्णित पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, की सूची विवरण-पुस्तिका में दी गयी सारिणी में संस्थाओं के नामों के साथ पाठ्यक्रमवार उपलब्ध सीटों के ब्यौरे भी दिये गये हैं। राज्य सरकार अथवा उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी संस्था/पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या को परिवर्तित कर सकती है अथवा किसी पाठ्यक्रम विशेष में प्रवेश बन्द या प्रारम्भ कर सकती है।

परीक्षा कार्यक्रम

ग्रुप	पाठ्यक्रम का नाम एवं कोड	परीक्षा दिवस एवं तिथि	परीक्षा समय एवं पाली
E	इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलाजी पाठ्यक्रम	रविवार 27.05.2012	प्रातः 8.00 बजे से 11.00 बजे तक प्रथम पाली
P	डिप्लोमा इन फार्मैसी	रविवार 27.05.2012	सायं 2.00 बजे से 5.00 बजे तक द्वितीय पाली
H	होटल मैनेजमेन्ट एण्ड कैंटरिंग टेक्नोलॉजी	सोमवार 28.05.2012	प्रातः 8.00 बजे से 11.00 बजे तक प्रथम पाली
M	मार्डन आफिस मैनेज एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस	सोमवार 28.05.2012	सायं 2.00 बजे से 5.00 बजे तक द्वितीय पाली
G	पी. जी. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	मंगलवार 29.05.2012	प्रातः 8.00 बजे से 11.00 बजे तक प्रथम पाली
T (महिला अभ्यर्थियों के लिए)	1. टेक्सटाइल डिजाइन 2. गारमेन्ट टेक्नोलॉजी 3. फैशन डिजाइन	मंगलवार 29.05.2012	सायं 2.00 बजे से 5.00 बजे तक द्वितीय पाली
A	डिप्लोमा इंजी० पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में लेटरल एन्ट्री (आई०टी०आई०/10+2 अथवा 10+व्यवसाय उत्तीर्ण)	मंगलवार 29.05.2012	सायं 2.00 बजे से 5.00 बजे तक द्वितीय पाली

3.1 आयु :

प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों के लिये आयु सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

3.2 स्वास्थ्य :

प्रवेश परीक्षा के अभ्यर्थियों की शारीरिक स्वस्थता जांच के लिये न्यूनतम मानक निम्नवत होंगे।

3.3.1 शारीरिक स्वस्थता जाँच :

- उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध उत्तराखण्ड के संस्थाओं में चल रहे डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा उसके शरीर में ऐसी कोई कमी नहीं होनी चाहिए जिसके फलस्वरूप वह प्रोफेशन का कार्य दक्षता से सम्पन्न न कर सके। प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रवेश लेने से पूर्व राजकीय चिकित्सालय द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- प्रत्येक नेत्र बिना चश्मे के साथ दिन के प्रकाश में परीक्षण किये जाने पर चिकित्सा मानक से कम नहीं होनी चाहिए।

3. प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम, कोड, अवधि, शैक्षिक अर्हता, परीक्षा-विषय तथा प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों का प्रतिशत :-

पाठ्यक्रम गुप	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	न्यूनतम शैक्षिक अर्हता	परीक्षा विषय तथा प्रश्नों का प्रतिशत	
E	डिप्लोमा इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम	तीन वर्षीय	विज्ञान तथा गणित (प्रारम्भिक गणित नहीं) विषयों के साथ मा0शि0प0 उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष परीक्षा। (Obtained at least 35% marks at the qualifying examination)	खण्ड-एक-गणित खण्ड-दो-विज्ञान (भौतिकी तथा रसायन)	50% 50%
P	डिप्लोमा इन फार्मसी	दो वर्षीय	10+2/ इन्टरमीडिएट, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान अथवा गणित विषयों के साथ। फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा जारी नये नियमों के अनुसार फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण मान्य नहीं होगा। (Obtained at least 45% marks (40% in case of candidate belonging to reserved category) at the qualifying examination)	खण्ड-एक-फिजिक्स, कैमिस्ट्री खण्ड-दो-बायोलाजी या गणित	50% 50%
H	डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेन्ट एण्ड कैंटरिंग टेक्नोलॉजी	तीन वर्षीय	10+2/ इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी विषय के साथ। (Obtained at least 45% marks (40% in case of candidate belonging to reserved category) at the qualifying examination)	रीजनिंग एण्ड लाजिकल डिस्कशन न्यूमेरिकल एबिलिटी साइंटिफिक एप्टीट्यूड अंग्रेजी भाषा सामान्य ज्ञान	25% 25% 25% 25%
M	माडर्न ऑफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस	दो वर्षीय	10+2/ इन्टरमीडिएट या उसके समकक्ष (हाईस्कूल अथवा इन्टरमीडिएट परीक्षा में हिन्दी तथा अंग्रेजी विषय का होना अनिवार्य है।)	अंग्रेजी एवं हिन्दी कम्प्रहेन्सन रीजनिंग एण्ड इन्टेलीजेन्सी न्यूमेरिकल एबिलिटी जनरल अवेयरनेस	30% 35% 10% 25%
G	पी.जी.डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	दो वर्षीय	-स्नातक उपाधि-	अंग्रेजी कम्प्रहेन्सन न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग जनरल इन्टेलीजेन्सी, जनरल अवेयरनेस	20% 15% 30% 20% 15%
T	केवल महिला अभ्यर्थियों के लिये 1. टेक्सटाईल डिजाइन 2. गारमेन्ट टेक्नोलॉजी 3. फैशन डिजाइन	तीन वर्षीय	हाईस्कूल उत्तीर्ण (Obtained at least 35% marks at the qualifying examination)	अंग्रेजी एवं हिन्दी कम्प्रहेन्सन रीजनिंग एण्ड इन्टेलीजेन्सी जनरल अवेयरनेस	20% 50% 30%
A	डिप्लोमा इंजी0 पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में लेटरल एन्ट्री (आई0टी0आई0 / 10+2 अथवा 10+व्यवसाय उत्तीर्ण)	दो वर्षीय	1. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (भौतिकी, रसायन एवं गणित विषय) या 2. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (व्यवसायिक/ प्राविधिक विषय उत्तीर्ण) या 3. दो वर्षीय आई0टी0आई0 उत्तीर्ण	हाईस्कूल स्तर की गणित- भौतिकी- रसायन- सामान्य इंजी0- (विद्युत, इलेक्ट्रानिक्स, यांत्रिक)	40% 20% 20% 20%

नोट :-

- उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम विशेष के लिए न्यूनतम अर्हता के लिए निर्धारित पाठ्यचर्या के अन्तर्गत होगी।
- महिला पॉलीटेकनिक संस्थानों में उपलब्ध पाठ्यक्रम केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है, परन्तु अन्य पॉलीटेकनिक/संस्थानों में महिला/पुरुष अभ्यर्थियों से सीटें भरी जायेंगी।
- हाईस्कूल कृषि विषय के साथ उत्तीर्ण छात्र भी गुप E में एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम के लिये आवेदन कर सकते हैं।
- गुप- A में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिये हाईस्कूल/समकक्ष परीक्षा गणित (प्रारम्भिक गणित नहीं) एवं विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होनी अनिवार्य है।

3.3-2 विकलांग एवं अक्षम अभ्यर्थी :

विकलांग अभ्यर्थियों हेतु एक विशिष्ट संस्थान "डा० अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नॉलोजी फार हैण्डिकैप्ड, उ०प्र० कानपुर" में स्थापित है। इस संस्थान में आर्कीटेक्चरल असिस्टेन्टशिप कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग तथा माडर्न आफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस पाठ्यक्रम चल रहे हैं एवं प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता 40 है। इस संस्थान में विकलांग छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण, छात्रावासीय सुविधा, रू० 190.00 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति, रू० 250.00 प्रतिमाह की फूड सब्सिडी तथा संस्था की निःशुल्क यूनीफार्म प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड की निम्नलिखित संस्था में चल रहे निम्न पाठ्यक्रमों में भी विकलांग अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। जिसमें भी उपरोक्तानुसार प्रवेश सुविधायें उपलब्ध हैं।

संस्था का नाम	इलेक्ट्रा० इंजी०	इलेक्ट्री० इंजी०	मैके० इंजी०(प्रो०)	पी०जी०डी०सी०ए०
के० एल० पाली० रूड़की	06 सीटें	06 सीटें	06 सीटें	07 सीटें

उपरोक्त के अतिरिक्त शेष सभी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों में विकलांग अभ्यर्थियों हेतु प्रवेश क्षमता का 3 प्रतिशत क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण उपलब्ध है। इन संस्थाओं में विकलांग अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप ही सुविधायें उपलब्ध हैं। उपरोक्त श्रेणी में केवल ऐसे विकलांग अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी अक्षमता 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो। डा० अम्बेडकर इन्स्टी० फार फिजीकली हैण्डिकैप्ड, कानपुर में माडर्न आफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस पाठ्यक्रम में केवल अस्थि विकलांगता से प्रभावित अभ्यर्थी ही पात्र होंगे प्रवेश के समय अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से प्रमाण-पत्र, जिसमें यह प्रमाणित हो कि अभ्यर्थी कम से कम 40 प्रतिशत विकलांग है एवं "विकलांगता" की सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी है, प्रस्तुत करना होगा। संस्था में छात्रों के प्रवेश के पूर्व पाठ्यक्रम विशेष हेतु अभ्यर्थी की उपयुक्तता का आँकलन संस्था स्तर पर नियुक्त विशेषज्ञ द्वारा किया जायेगा।

3.4 प्रवेश हेतु अनिवार्यता :

1. जिन्होंने निर्धारित अर्हकारी परीक्षा उत्तराखण्ड में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से उत्तीर्ण की हो

अथवा

2. जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तराखण्ड के बाहर किसी अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण की हो किन्तु उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी हों।

यदि कोई विदेशी संयुक्त प्रवेश परीक्षा में चयनित हो जाता है तो उसके प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित/संस्तुत होने अथवा केन्द्र सरकार द्वारा नामित/संस्तुत/सहमति आवश्यक होगी। कश्मीर से विस्थापित अभ्यर्थियों हेतु शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार सीटें आरक्षित की गई हैं, तदनुसार प्रवेश अनुमन्य होगा।

विशेष ध्यानाकर्षण :

अ. आरक्षण वर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी यह भली-भाँति नोट कर लें, कि चयनित होने के बाद भी उन्हें प्रवेश तभी दिया जायेगा जब वे आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न कर पाने की दशा में उनका चयन निरस्त माना जायेगा और वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, तथा इस सम्बन्ध में उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

ब. प्रवेश के पश्चात संस्था/पाठ्यक्रम स्थानान्तरण किसी भी दशा में सम्भव नहीं होगा।

4. सीटों का आरक्षण :

प्रवेश परीक्षा के माध्यम से संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड सरकार के सुसंगत शासनादेशों के अधीन निम्नवत् है :-

क्र० सं०	जिनके लिये आरक्षित है	आरक्षित स्थान	कोड
ऊर्ध्वाधर आरक्षण			
1.	अनुसूचित जाति (S.C.) अभ्यर्थियों के लिये।	19 %	SC
2.	अनुसूचित जनजाति (S.T.) अभ्यर्थियों के लिये।	04 %	ST
3.	अन्य पिछड़े वर्ग (O.B.C.) अभ्यर्थियों के लिये।	14 %	OBC
4.	N.C.C. प्रमाण पत्र धारकों के लिए (उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार)	प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों में A B तथा C हेतु प्राप्तांकों का क्रमशः 1, 2, तथा 3% जोड़ा जायेगा	NCC

क्षैतिज आरक्षण

5.	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी (D.F.F.) के आश्रितों के लिये।	02 % संस्थागत, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों के सापेक्ष	DFE
6.	भूतपूर्व सैनिकों/अपंग/मृत सैनिकों के आश्रित (MP)	05 % संस्थागत, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों के सापेक्ष	MP
7.	विकलांग अभ्यर्थियों (PH) के लिये।	03 %	PH
8.	महिलाओं (Women) के लिये।	30 %	WO

नोट : 1. जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगा/होगी उसे उसी वर्ग में हारिजैन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा।

2. उपरोक्त आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा परिवर्तनीय है।

3. यदि कोई अभ्यर्थी प्रोविजनली चयनित हो जाने की दशा में अपने आरक्षण वर्ग, उपवर्ग का प्रमाण-पत्र शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रवेश के समय संस्था में प्रस्तुत नहीं करता है अथवा आरक्षण के सम्बन्ध में उसके द्वारा दिया गया वक्तव्य असत्य पाया जाता है तो किसी अन्य वर्ग में समायोजित नहीं किया जायेगा एवं उसकी पात्रता/चयन निरस्त समझा जायेगा।

4. भूतपूर्व सैनिकों के लिए शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आरक्षण दिया जायेगा। आश्रितों की परिभाषा सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुमन्य होगी।

5. आरक्षण प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त होना अनिवार्य है। आरक्षण (SC, ST, OBC) का लाभ लेने के लिये उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी काउंसिलिंग के समय प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करता है तो उसे काउंसिलिंग में प्रवेश के लिये अर्ह नहीं माना जायेगा।

6. N.C.C. का लाभ लेने के लिये अभ्यर्थियों को आवश्यक है कि आवेदन पत्र भरते समय उनके पास A,B अथवा C सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। क्योंकि अभ्यर्थी के प्राप्तांकों में अंकों का प्रतिशत क्रमशः 1,2 एवं 3 प्रतिशत जोड़ा जाता है अतः काउंसिलिंग में यदि अभ्यर्थी N.C.C. का उक्त प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करता है तो काउंसिलिंग में प्रवेश का अर्ह नहीं माना जायेगा।

5.1 चयन एवं काउंसिलिंग सम्बन्धी नियम

5.1.1 मेरिट सूची

सभी पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम एवं संस्था का आवंटन मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा, मेरिट सूची में अभ्यर्थी का मेरिट क्रम प्राप्तांकों के आधार पर होगा। एक से अधिक अभ्यर्थियों के उक्त प्राप्तांकों का योग यदि समान होता है तो उस स्थिति में प्रत्येक अभ्यर्थी की पारस्परिक मेरिट की अवधारणा प्रथमतः सम्बन्धित अभ्यर्थियों के जन्म तिथि के आधार पर मेरिट निर्धारित की जायेगी। इसके उपरान्त भी यदि मेरिट क्रमांक की अवधारणा न हो तो सम्बन्धित अभ्यर्थियों के गणित, विज्ञान/रसायन, बायोलॉजी जैसी भी स्थिति के अंकों के आधार पर मेरिट निर्धारित की जायेगी और अन्त में यदि उक्त सभी विकल्पों के बावजूद मेरिट निर्धारित नहीं हो पाती तो सम्बन्धित अभ्यर्थियों का मेरिट क्रम सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की द्वारा निर्धारित की जायेगी।

5.1.2 परीक्षाफल/मेरिट सूची की घोषणा :

जीप-2012 के परीक्षाफल एवं रैंक की घोषणा परिषद् की वेबसाइट में 20 जून-2012 को प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र परीक्षा होने से संस्था में प्रवेश होने तक अपने पास सुरक्षित रखें।

5.1.3 कम्प्यूटराईज्ड काउंसिलिंग:

कम्प्यूटराईज्ड काउंसिलिंग की तिथियां व समय समाचार पत्रों एवं परिषद् की वेब साईट पर प्रकाशित की जायेगी। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना (Call Letter) नहीं भेजी जायेगी।

5.1.4

परीक्षाफल प्रकाशन से पूर्व अथवा बाद में जब भी आवश्यक हो राज्य सरकार के पास प्रत्येक पाठ्यक्रमों की सीटों में (जिसमें आरक्षित श्रेणी की सीटें सम्मिलित हैं) कमी, बढ़ोत्तरी अथवा उनके संबन्ध में अन्य कोई भी परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।

5.2 आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र :

आरक्षण प्रमाण-पत्र जैसे अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, सैनिक आश्रित, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, विकलांग आदि को आरक्षण का लाभ प्रवेश के समय सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना

आवश्यक है। जो अभ्यर्थी आवेदन-पत्र में दर्शाये गये आरक्षण वर्ग के लिए सम्मन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्रवेश के समय प्रवेश समिति के सम्मन प्रस्तुत नहीं कर पायेंगे वे प्रवेश के पत्र नहीं होंगे। अतः अभ्यर्थी को चाहिए कि वह आवेदन-पत्र भरते समय आरक्षण वर्ग तथा उपवर्ग के कालम का विशेष ध्यान रखें तथा आरक्षित वर्गों की सीटों हेतु तब ही आवेदन करें जब वे वांछित प्रमाण-पत्र रखते हों एवं प्रवेश के समय प्रवेश समिति के सम्मन प्रस्तुत कर सकें, क्योंकि बाद में उन्हें अन्य वर्ग में किसी भी परिस्थितियों में समायोजित नहीं किया जायेगा।

5.3 प्रवेश पत्र :

प्रवेश पत्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तिथि के 15 दिन पूर्व, अभ्यर्थी द्वारा लिखित पत्र पर डाक द्वारा भेजा जायेगा। इस प्रवेश-पत्र पर अभ्यर्थी का अनुक्रमांक, नाम, आरक्षण, वर्ग, उपवर्ग, जन्म तिथि, परीक्षा तिथि, परीक्षा समय तथा परीक्षा केन्द्र मुद्रित होगा, अतः अभ्यर्थी को चाहिए कि निर्धारित स्थान पर अपना नाम एवं पूरा पता साफ-साफ लिखें। अभ्यर्थी को चाहिए कि वह भेजे गये प्रवेश-पत्र पर अंकित आरक्षण वर्ग, उपवर्ग भली-भाँति चेक कर लें। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर परिषद् के कार्यालय से परीक्षा तिथि से पूर्व प्रत्येक दशा में सम्पर्क कर त्रुटि सुधार करवा लें अन्यथा चयनित हो जाने पर प्रवेश के समय किसी भी प्रकार की त्रुटि का निवारण करना संभव नहीं होगा। सामान्यतया प्रवेश-पत्र परीक्षा तिथि से दस दिन पूर्व तक अभ्यर्थी को प्राप्त हो जायेगा। यदि किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र इस समय तक न मिला हो तो तुरन्त पूर्ण विवरण के साथ परिषद् कार्यालय से सम्पर्क कर उसे अपना अनुक्रमांक ज्ञात कर लेना चाहिए जिससे (यदि आवश्यक हो तो) परीक्षा से एक दिन पूर्व अथवा परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र पर आवेदन-पत्र पर लगे फोटो की दो सत्यापित प्रतियाँ जमा कर प्रवेश-पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि निःशुल्क प्राप्त कर लें। परीक्षाफल घोषित होने तक अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र सुरक्षित रखना चाहिए तथा चयन होने की स्थिति में प्रवेश के समय प्रवेश समिति के सम्मन प्रस्तुत करना होगा।

प्रवेश के समय आरक्षण वर्ग का प्रमाण-पत्र प्रारूप पर प्रस्तुत न कर पाने की दशा में अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा, और इस सन्दर्भ में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। प्रवेश परीक्षा-2012 में चयनित अभ्यर्थियों का चयन केवल सत्र-2012-13 के लिये है। यह चयन किसी भी दशा में अगले सत्र के लिये मान्य नहीं होगा।

5.4 प्रवेश परीक्षा केन्द्र :

ग्रुप E एवं ग्रुप P के पाठ्यक्रमों हेतु परीक्षा केन्द्र कवर पेज में अंकित तालिका में दिये गये शहरों में होंगे। परीक्षार्थी उस शहर का नाम एवं कोड भरें जहाँ से वह परीक्षा देना चाहता है। शहर कोडों का विवरण पुस्तिका के कवर पेज पर दिये गये हैं। ग्रुप E एवं ग्रुप P के अभ्यर्थी तालिका में दिए गए शहरों में से कोई भी दो विकल्प फार्म के क्रम 19-20 में भरें।

आयोजक संस्था को यह अधिकार होगा कि किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी केन्द्र से परीक्षा देने की अनुमति दे सकता है। आयोजक संस्था द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। E, P ग्रुप के अतिरिक्त अन्य ग्रुपों के पाठ्यक्रमों (यथा A, T, M, G तथा H) हेतु केवल निम्न शहरों जिनके कोड ब्रैकेट में अंकित हैं, परीक्षा केन्द्र रखे जायेंगे।

1. नैनीताल (25)
5. देहरादून (13)

2. अल्मोड़ा (26)
6. रुड़की (11)

3. काशीपुर (21)
7. लोहाघाट (30)

4. श्रीनगर (17)
8. उत्तरकाशी (16)

नोट : E, P ग्रुप हेतु 20 परीक्षा शहर जिनके कोड कवर पेज के पीछे अंकित हैं, इन शहरों में आयोजित करायी जायेगी परन्तु अन्य सभी ग्रुपों (A, H, T, G एवं M) की परीक्षा मात्र 8 शहरों में करायी जायेगी।

यदि कोई अभ्यर्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम ग्रुप कोड E, P तथा अन्य ग्रुपों (A, T, M, G तथा H) के पाठ्यक्रमों की परीक्षा में बैठने हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं रखता है तथा वह एक से अधिक ग्रुपों की परीक्षाओं में बैठने का इच्छुक है तो उसे प्रत्येक ग्रुप की परीक्षाओं हेतु अलग-अलग निर्धारित आवेदन-पत्र भरने होंगे। ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र हेतु विकल्प ऊपर लिखित शहरों में से O.M.R. फार्म के क्रमांक 19-20 में ही दें ताकि उन्हें सभी परीक्षाओं (प्रातः पाली एवं सायं पाली/अगली तिथि की प्रातः पाली एवं सायं पाली) में सम्मिलित होने में कोई असुविधा न हो तथा भिन्न-भिन्न परीक्षा केन्द्र न मिलें। यथा सम्भव प्रयास किया जायेगा कि विकल्प के मुताबिक अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जायेगा परन्तु इस प्रकार कि कोई बाध्यता परिषद की नहीं होगी।

5.5 आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी को निर्देश :

विशेष सावधानियाँ :-

- O.M.R. आवेदन पत्र को न तो काटें, न मोड़ें न फाड़ें अथवा इस पर कोई पिन, स्टेपल, धागा एवं खरोंच न लगायें।
- O.M.R. आवेदन पत्र की मूल कापी ही जमा करें।
- O.M.R. आवेदन पत्र के चौकोर खानों में केवल काले अथवा नीले बाल पेन से ही लिखें तथा सम्बन्धित गोलों को पूर्ण रूप से पेन्सिल से भरें।
- विकल्प भरने के लिए पहले से भरे गोलों को पूर्ण रूप से मिटायें तभी दूसरा गोला भरें।
- अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में जाति/उपजाति आदि भरते समय सावधानी बरतें, एक बार जाति/उपजाति भरने के पश्चात किसी भी दशा में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

प्रथम पृष्ठ (SIDE-1) (पृष्ठ-27 पर)

Item No. 1 Name of Candidate -

इस आइटम में अपना पूरा नाम अंग्रेजी में उसी प्रकार लिखें जैसा कि आपके हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा प्रमाण-पत्र में दिया गया है। एक चौकोर खाने में केवल एक अक्षर लिखें तथा नाम के दो भागों के बीच में एक खाना छोड़ें। चौकोर खानों के नीचे दिये गये सम्बन्धित गोलों को भरें। खाली चौकोर खानों के नीचे कोई भी गोला काला न करें। अपना नाम इस प्रकार से भरें कि वह दिये गये चौकोर खानों में आ जाये। नाम के पहले श्री/श्रीमती/कुमारी (Sri/Smt/Km) आदि न लगायें। यदि आवश्यकता हो तो अपने मध्य नाम को छोटा करके लिखें। विवरण पुस्तिका में आपके मार्गदर्शन हेतु एक भरा हुआ नमूना आवेदन पत्र पृष्ठ 31 पर दिया गया है। नमूना में अभ्यर्थी का नाम अमित कुमार (AMIT KUMAR) है।

Item No. 2 Father's Name -

इस आइटम में अपने पिता का नाम उसी प्रकार लिखें, जैसा कि आपके हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में दिया गया है। नाम लिखने के लिये आइटम-1 में दी गई विधि का उपयोग करें। नमूना में अभ्यर्थी के पिता का नाम सुनील कुमार (SUNIL KUMAR) है।

Item No. 3 Date of Birth -

इस आइटम में अपनी जन्म तिथि उसी प्रकार लिखें जैसा कि आपके हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा प्रमाण-पत्र में दी गयी है। तिथि के लिये अंग्रेजी अंक 01 से 31 का उपयोग करें, जन्म माह के लिये अंग्रेजी नाम के प्रथम तीन अक्षरों का प्रयोग करें तथा जन्म वर्ष को संबंधित चौकोर खानों में अंग्रेजी अंकों से भरें। इसके बाद तिथि, माह तथा वर्ष से सम्बन्धित गोलों को भरें। भरा हुआ नमूना आवेदन पत्र में देखें। (अभ्यर्थी की जन्मतिथि 21 नवम्बर, 1981 है।)

Item No. 4 Sex -

यदि आप पुरुष हैं तो चौकोर खाने में MALE लिखें तथा यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं तो FEMALE लिखें। सम्बन्धित गोले को काला करें। भरा हुआ नमूना आवेदन पत्र देखें। (नमूना पुरुष अभ्यर्थी का है)।

Item No. 5 Nationality -

यदि आप भारतीय मूल के निवासी हैं तो चौकोर खाने में काले बाल पेन से INDIAN लिखें तथा उससे सम्बन्धित गोले को भरें। अन्यथा अपनी नागरिकता बतायें एवम् दूसरे गोले को भरें।

Item No. 6 Permanent Home/Bonafide Resident of Uttarakhand -

YES/NO लिखें एवं गोले को काला करें

1. यह प्रमाण पत्र उन्हीं व्यक्तियों को दिया जायेगा, जो भारत के नागरिक हों तथा उत्तराखण्ड के सद्भाविक निवासी (Bonafide Residents) हों। इस श्रेणी में वह व्यक्ति आयेंगे जिनका स्थाई आवास (Permanent Home) उत्तराखण्ड में न हो, इसमें वे उत्तराखण्ड निवासी भी सम्मिलित होंगे जो उत्तराखण्ड में कम से कम 15 वर्ष से निवास कर रहे हों अथवा जिनका उत्तराखण्ड में स्थाई आवास (Permanent Home) हो, किन्तु वे अपनी आजीविका के लिये प्रदेश से बाहर निवास कर रहे हों, स्थाई आवास (Permanent Home) का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जो उत्तराखण्ड में पैत्रिक रूप से रह रहे हों/जिनका उत्तराखण्ड में पैत्रिक आवास हो।
2. स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा इस आशय की घोषणा आवश्यक होगी कि उसने किसी भी प्रयोजन हेतु किसी अन्य राज्य का स्थाई निवास ग्रहण नहीं किया है।
3. बिन्दु (1) में की गई व्यवस्था के अपवाद स्वरूप विशिष्ट प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्तियों को भी उत्तराखण्ड का सद्भाविक निवासी (Bonafide Residents) माना जायेगा। जो राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हों, केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवायें उत्तराखण्ड से बाहर अस्थानान्तरणीय हैं, भी इस श्रेणी में शामिल होंगे, इस आशय का समुचित साक्ष्य आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

4. शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के सन्दर्भ में स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता उसी दशा में होगी, जहाँ किसी संस्था/पाठ्यक्रम विशेष के लिए उत्तराखण्ड के निवासियों के लिए सीटें/कोटा आरक्षित हों। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग द्वारा समय-समय पर यथा आवश्यकता आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

Item No. 7 Category –

इस आइटम में आप श्रेणी के आधार पर चौकोर खाने में बाल पेन से लिखें तथा उससे सम्बन्धित गोले को भरें। यदि आप किसी उप श्रेणी से भी सम्बन्ध रखते हैं तो सम्बन्धित गोले को भरें। अगर अभ्यर्थी किसी उप श्रेणी में भी आता हो तो सम्बन्धित गोले को भी भरें। नमूना में अभ्यर्थी अनुसूचित जाति में विकलांग उप वर्ग से सम्बन्धित हैं। अतः नमूने में SC तथा PH लिखा गया है एवं सम्बन्धित गोला काला किया गया है।

Item No. 8 NCC Certificate Pass -

यदि आप ने एन0 सी0 सी0 में A, B अथवा C सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो सम्बन्धित गोले को भरें। (नमूने में अभ्यर्थी B सर्टिफिकेट धारक हैं)।

Item No. 9 Group in which you wish to appear in JEEP-2012 –

आप अपनी अर्हता के अनुसार पाठ्यक्रम गुप (E,H,P,T,G,M,A) में से किसी एक पाठ्यक्रम का चुनाव करें, जिसमें आप JEEP-2012 की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं। चौकोर खानों में पाठ्यक्रम गुप एवं उसका सम्बन्धित कोड लिखें तथा सम्बन्धित गोले को काला करें। पाठ्यक्रम गुप हेतु विवरण पुस्तिका देखें। (नमूना में अभ्यर्थी ने पाठ्यक्रम गुप E चुना है।)

Item No. 10 For Pharmacy Only –

अगर अभ्यर्थी फार्मसी गुप से सम्बन्ध रखता हो तो अपना विषय विकल्प भरें। चूंकि छात्र ने क्रमांक 9 पर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम E चुना है अतः नमूने में छात्र ने क्रमांक 10 में विकल्प अंकित नहीं किया है।

Item No. 11 Write name & Complete mailing address with Black Ball Pen in BLOCK LETTERS -

अभ्यर्थी 11.1 में उस जिले का कोड लिखें जिसमें वे अपना प्रवेश पत्र मँगाना चाहते हैं:-

जिले का नाम	कोड	जिले का नाम	कोड	जिले का नाम	कोड	जिले का नाम	कोड
नैनीताल	A	अल्मोड़ा	B	उधम सिंह नगर	C	पिथौरागढ़	D
बागेश्वर	E	चम्पावत	F	उत्तरकाशी	G	टिहरी गढ़वाल	H
पौड़ी गढ़वाल	I	देहरादून	J	हरिद्वार	K	चमोली	L
रुद्रप्रयाग	M	उत्तराखण्ड से बाहर के अन्य राज्यों के लिये कोड N तथा भारत देश से बाहर के लिये कोड O अंकित करें।					

अभ्यर्थी 11.2 में अपना नाम तथा डाक का पूरा पता केवल काले बाल पेन से बड़े अक्षरों में निर्धारित ब्लॉक में लिखें। पते के साथ पिन कोड संख्या लिखें। भरा हुआ नमूना आवेदन पत्र देखें। नमूना रुड़की का है, उसका पिनकोड – 247667 है।

Item No. 12 Photograph -

एक 3.5 सेमी0 × 4.5 सेमी0 आकार का फोटो निर्धारित खाने में चिपकायें। फोटो प्रमाणित न करायें।

Item No. 13 Candidate's Signature -

निर्धारित खाने के अन्दर केवल काले बाल पेन से अपने हस्ताक्षर करें। हस्ताक्षर निर्धारित खाने की सीमा के बाहर नहीं होनी चाहिये। भरा हुआ नमूना आवेदन पत्र देखें।

Item No. 14 Signature of forwarding Officer –

फॉर्म जमा किये जाने वाले पॉलीटेकनिक अथवा परिषद् कार्यालय के प्रधानाचार्य/अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। अभ्यर्थी नमूना देखें।

द्वितीय पृष्ठ (SIDE-2) (पृष्ठ-28 पर)

Item No. 15 Mother's Name of Candidate –

इस आइटम में अपनी माता का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखें। एक चौकोर खाने में केवल एक अक्षर लिखें तथा नाम के दो भागों के बीच में एक खाना छोड़ें। यदि आवश्यकता हो तो अपने मध्य नाम को छोटा करके लिखें। नमूने में माता का नाम सुनीता रानी (SUNITA RANI) है।

Item No. 16 Telephone Number (with STD code) of the Candidate –

अभ्यर्थी अपना अथवा नजदीकी सम्पर्क दूरभाष संख्या एस.टी.डी. कोड सहित अवश्य लिखें एवं सम्बन्धित गोलों को काला करें।

Item No. 17 Qualification –

इस आइटम में आपकी जो योग्यता हो एवं जहाँ से उत्तीर्ण किया (Passed) हो या परीक्षा में बैठ रहे (Appeared) हों, तो सम्बन्धित खानों को भरें। नमूने में अभ्यर्थी ने हाईस्कूल पास किया है तथा 10+2 की परीक्षा में बैठा दर्शाया गया है।

Item No. 18 Year of Passing Qualifying Examination –

इस आइटम में आप को जिस साल में आप ने शैक्षिक योग्यता प्राप्त की हो उस को चौकोर खानों में लिखें। तत्पश्चात् सम्बन्धित गोलों को काला करें। (नमूने में अभ्यर्थी को 2001 में शैक्षिक योग्यता प्राप्त दर्शाया गया है)

Item No. 19/20 Choice of City for Examination –

ऐसे दो शहरों के विकल्प वरीयतानुसार चुनें जहाँ से आप प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तथा इन शहरों के कोड चौकोर खानों में लिखें। तत्पश्चात् सम्बन्धित गोलों को भरें। शहर कोड के लिए विवरण पुस्तिका में कवर पेज के पीछे देखें।

Item No. 21 Declaration – इस आइटम में निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके घोषणा पत्र भरें। अपने पिता/अभिभावक के भी हस्ताक्षर करवायें तथा तिथि अंकित करें। भरा हुआ आवेदन पत्र देखें।

6. परीक्षार्थियों के लिये आवश्यक निर्देश :

6.1 समय – परीक्षार्थी को परीक्षा आरम्भ होने के आधा घण्टा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुँच जाना चाहिए तथा परीक्षा केन्द्र पर लगे सीटिंग प्लान में अपना निर्धारित कक्ष देखकर परीक्षा कक्ष में पहुँचना चाहिए। इस कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए जिससे कि वह परीक्षा कक्ष में परीक्षा आरम्भ होने से 20 मिनट पूर्व पहुँच सके।

6.2 लेखन सामग्री – परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी केवल नीला अथवा काले बाल पेन का ही प्रयोग करें।

6.3 प्रवेश पत्र – परीक्षार्थी अपने साथ प्रवेश-पत्र (आयोजक संस्था द्वारा निर्गत/परीक्षा केन्द्र पर बनवाया गया डुप्लीकेट प्रवेश-पत्र) अवश्य लायें जिसे परीक्षा कक्ष में परिनिरीक्षक/केन्द्र अधीक्षक/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर अवश्य प्रस्तुत करें। बिना प्रवेश-पत्र के परीक्षा कक्ष में जाने से वंचित किया जा सकता है।

6.4 परीक्षा काल में परीक्षा कक्ष छोड़ना – परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे परीक्षाकाल में परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ेंगे। लघुशंका के लिये परीक्षार्थी सामान्यतः एक बार परिनिरीक्षक की अनुमति से उसकी निगरानी में बाहर जा सकेंगे। परन्तु परीक्षा आरम्भ होने के पश्चात् आधे घन्टे की अवधि में तथा परीक्षा समाप्त होने से आधे घन्टे पूर्व की अवधि में किन्हीं भी परिस्थितियों में परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ सकेंगे।

6.5 परीक्षार्थी तथा उत्तर चार्ट – परीक्षार्थी उत्तर चार्ट को भरने में पूर्ण सावधानी बरतें। उत्तर चार्ट में सभी वांछित प्रविष्टियाँ स्पष्ट रूप से भरनी आवश्यक हैं। प्रविष्टियाँ अपूर्ण या अस्पष्ट होने से मूल्यांकन न होने पर होने वाली हानि का पूर्ण उत्तरदायित्व परीक्षार्थी का होगा। परिनिरीक्षक द्वारा दिया गया उत्तर चार्ट कम्प्यूटर के प्रयोगार्थ है अतः सभी प्रविष्टियों को अंग्रेजी में ही भरना अनिवार्य है। अंकों हेतु विश्वमान्य संख्याओं (Universal Numeral-1,2,3,4,5 इत्यादि) का ही प्रयोग किया जाय।

6.6 प्रत्येक सही उत्तर के लिये आपको 5 अंक प्रदान किये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जायेगा।

6.7 उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद को विशेष परिस्थितियों में प्रवेश परीक्षा को निरस्त करने अथवा उसे पुनः कराने का अधिकार रहेगा।

1. प्रश्न-पत्र तथा उत्तर चार्ट के सम्बन्ध में अति महत्वपूर्ण निर्देश :

(अ) परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व— 1. आपको परीक्षा कक्ष में परिनिरीक्षक द्वारा सर्वप्रथम एक विशेष प्रकार का उत्तर चार्ट (O.M.R.) दिया जायेगा। आप इस विशेष उत्तर-चार्ट पर प्रविष्टियाँ पूर्ण करने से पूर्व भली-भाँति चेक कर लें कि कहीं यह गंदा, कटा-फटा, मुड़ा, सिलवट पड़ा या गोल मोड़ा गया तो नहीं है और इस पर किसी प्रकार के दाग, धब्बे तो नहीं हैं क्योंकि ऐसे उत्तर चार्ट को कम्प्यूटर द्वारा सही-सही नहीं पढ़ा जा सकेगा जिससे आपको हानि हो सकती है। अतः ऐसे उत्तर चार्ट को तुरन्त परिनिरीक्षक से कह कर बदल लें। परीक्षा आरम्भ होने के 5 मिनट पूर्व आपको प्रश्न-पुस्तिका भी दी जायेगी।

2. उत्तर चार्ट पर वाँछित सभी सूचनाएं अति महत्वपूर्ण हैं उनको अवश्य पढ़ लें।
3. अभ्यर्थी अपना नाम, हस्ताक्षर, अनुक्रमांक तथा (अंकों या शब्दों में), तथा प्रश्न-पुस्तिका संख्या आदि को केवल बाल पेन से ही भरना है।

1. **अनुक्रमांक भरने में-** मुख्य परीक्षा में प्रयुक्त होने वाले O.M.R. उत्तर चार्ट में अनुक्रमांक लिखने के लिए दिये गये खानों में अपना अनुक्रमांक बाल पेन से अंग्रेजी अंकों में लिख दें तथा उससे सम्बन्धित नीचे बने गोलों को HB पेंसिल से भर दें। फार्मसी पाठ्यक्रम ग्रुप.P के लिये प्रयुक्त होने वाले उत्तर चार्ट में खण्ड दो में जीव विज्ञान तथा गणित विषय से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिये दो खाने बने हुए हैं। यदि अभ्यर्थी गणित विषय के प्रश्नों को हल करना चाहता है तो गणित के लिए बने खाने को भरें। इसी प्रकार यदि जीव विज्ञान के प्रश्नों को हल करना चाहता है तो जीव विज्ञान के लिये बने खाने को भरें।
2. **प्रश्न-पुस्तिका संख्या भरने में -** प्रश्न-पुस्तिका संख्या लिखने के लिए एक लाइन में 6 बाक्स बने हुए हैं। प्रत्येक बाक्स के नीचे दस खाने बने हैं जिनमें 0 से 9 तक अंक लिखे हैं। आपको परीक्षा कक्ष में मिली प्रश्न-पुस्तिका में ऊपर की ओर दांयी ओर जो क्रम संख्या अंकित है उसे बाक्सों में बाल पेन से अंग्रेजी में (NUMERALS) लिख दें। एक बाक्स में एक ही अंक लिखें और उसके संगत अंक वाले उसके नीचे बने खाने को भर दें। अभ्यर्थियों को कोई भी प्रश्न-पुस्तिका का सेट मिल सकता है।
3. परीक्षा प्रारम्भ होने का संकेत मिलते ही आप प्रश्न-पुस्तिका को खोलकर भली-भाँति जाँच कर लें कि उसमें पूरे सौ (100) प्रश्न क्रमानुसार छपे हैं तथा कहीं प्रिन्ट (PRINT) छूटा तो नहीं है अथवा कटा फटा या अपूर्ण तो नहीं है यह भी जाँच कर लें कि प्रश्न-पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर प्रश्न-पुस्तिका संख्या स्पष्ट एवं पठनीय है। ऐसा होने पर तुरन्त प्रश्न-पुस्तिका बदल लें तत्पश्चात आप प्रश्नों को हल करना प्रारम्भ करें। सभी रफ कार्य (ROUGH WORK) प्रश्न-पुस्तिका पर ही करें। उत्तर चार्ट (O.M.R.) पर रफ कार्य कदापि न करें। क्योंकि ऐसा करने पर आपका उत्तर चार्ट कम्प्यूटर द्वारा सही नहीं जाँचा जायेगा।
4. प्रश्नों के उत्तर के विकल्पों को भरने में - प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न के नीचे चार वैकल्पिक उत्तर दिये होंगे, इनमें से जिस उत्तर को आप सही समझते हों उसका उत्तर (विकल्प) संख्या चुनकर, उत्तर चार्ट में दिये गये प्रश्न की क्रम संख्या के नीचे दिये गये सही उत्तर (विकल्प संख्या) वाले खाने को पूरा-पूरा भर दें। एक बार भरा गया उत्तर बदला नहीं जायेगा। एक से अधिक उत्तर देने पर उत्तर को गलत माना जायेगा। नमूना निम्न कल्पित सूचनाओं पर आधारित है-

1.	परीक्षार्थी का नाम	-	अमित कुमार (AMIT KUMAR)
2.	रोल नम्बर	-	21221521
3.	परीक्षार्थी के हस्ताक्षर	-	<i>Amit Kumar</i>
4.	निरीक्षकों के हस्ताक्षर	-	1. <i>Badrinath</i> 2. <i>Krishnolal</i>
5.	प्रश्न-पुस्तिका संख्या	-	468501

परिशिष्ट - 1

नोट : निम्न प्रमाण-पत्र (1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7) आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। यह अभ्यर्थी के चयनित होने की दशा में उसे प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश के समय प्रस्तुत न कर पाने की दशा में चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा। अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

प्रमाण पत्र सं0 1

राजकीय चिकित्सालय से प्रदत्त चिकित्सा/फिटनेस प्रमाण पत्र

ओ0पी0डी0 संख्या

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पुत्र/पुत्री श्री का मेरे द्वारा भली-भाँति परीक्षण कर लिया गया है। अभ्यर्थी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ है।


अभ्यर्थी का शारीरिक जाँच का विवरण

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं बायें हाथ के अंगूठे का निशान

आयु लिंग ऊँचाई

पहचान चिन्ह वजन

विजन.....



दिनांक:

प्रमाण-पत्र संख्या - 2

शासनादेश संख्या 2588/एक-4/सा0प्र0-2001

स्थायी निवास का प्रमाण-पत्र

- नोट :- 1. केवल उन अभ्यर्थियों द्वारा देय होगा, जो उत्तराखण्ड के मूल निवासी हैं अथवा आरक्षण का लाभ लेना चाहते हों तथा जिन्होंने उत्तराखण्ड के बाहर से हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।
2. निम्न प्रमाण-पत्र उस जिले के जिलाधीश/अतिरिक्त जिला अधिकारी/परगना अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये, जिस जिले का छात्र मूल निवासी है।

प्रमाणित किया जाता है कि

..... निवासी.....
परगना..... तहसील.....जिला.....
राज्य उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र, निर्गत करने से पूर्व निर्धारित समस्त मानदण्डों की भली-भाँति जाँच कर ली गयी है, और मैं जाँच से पूर्णतया संतुष्ट हूँ। यह प्रमाण पत्र
..... प्रयोजन हेतु जारी किया जा रहा है।

यह प्रमाण-पत्र तहसीलदार की जाँच आख्या दिनोंक के आधार पर जारी किया गया।

उप-जिलाधिकारी

स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जाँच आख्या प्रपत्र

1. आवेदक का नाम:
2. आवेदक की जन्म तिथि व जन्म स्थान
3. आवेदक के पिता
व माता का नाम
4. आवेदक के पिता/पति का जन्म स्थान
5. आवेदक का स्थाई पता
6. आवेदक का वर्तमान स्थाई पता
7. क्या आवेदक के माता/पिता/दादा इस जनपद के मूल निवास है
यदि हों तो ग्राम/नगर का पता तथा निवास की अवधि
8. आवेदक के पिता/माता के नाम अचल सम्पत्ति का ब्यौरा दें
9. पिता/माता का व्यवसाय
10. पिता/माता यदि सरकारी सेवा में हैं तो विभाग व स्थान का नाम
11. क्या आवेदक किसी अन्य जनपद का स्थाई निवासी है? यदि हों तो उसके द्वारा पूर्व
जनपद की स्थाई निवासिता छोड़ दी गई इसके समर्थन में साक्ष्य
12. स्थाई निवास प्रमाण-पत्र मांगे जाने का कारण
13. जन्म-मृत्यु पंजिका की नकल
14. राशन कार्ड का नं0 नियत अधिकारी द्वारा सत्यापित
15. अन्य अभियुक्ति
उपरोक्त बिन्दुओं पर जाँच मेरे द्वारा स्थल पर जाकर की गई है। प्रमाण-पत्र जारी करने की संस्तुति की जाती है।

लेखपाल के हस्ताक्षर
लेखपाल का नाम व क्षेत्र

लेखपाल की आख्या से सन्तुष्टि होते हुए प्रमाण-पत्र जारी करने की संस्तुति की जाती है।

तहसीलदार के हस्ताक्षर
तहसीलदार का नाम
दिनोंक

प्रमाण-पत्र संख्या - 3

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
पटवारी क्षेत्र तहसील नगर
जिला उत्तराखण्ड राज्य की जाति के व्यक्ति हैं। जिसे
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ (संविधान) अनुसूचित
जनजाति, उत्तर प्रदेश (आदेश) 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता
दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार
.....ग्रामतहसील नगर जिला
.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान: हस्ताक्षर
दिनांक: पूरा नाम
मुहर: पद नाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/
परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

प्रमाण-पत्र संख्या - 4

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी की सन्तान का प्रमाण-पत्र

नोट : 1. केवल उन अभ्यर्थियों द्वारा देय होगा, जो उत्तराखण्ड के मूल निवासी नहीं हैं तथा जिन्होंने उत्तराखण्ड
के बाहर से हाईस्कूल अथवा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा जिनके पिता उत्तराखण्ड के किसी
केन्द्रीय कार्यालय में कार्यरत हों।

2. यह प्रमाण-पत्र केन्द्रीय सरकार के कार्यालयाध्यक्ष (हेड आफ दि आफिस) द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी (अभ्यर्थी का
पूरा नाम) के पिता श्री केन्द्रीय सरकार के कार्यालय
.....में पद पर कार्यरत हैं। यह
कार्यालय उत्तराखण्ड के जनपद में स्थित है।

स्थान : हस्ताक्षर
दिनांक : नाम
..... पदनाम
कार्यालय का नाम तथा पूरा पता
.....
.....

प्रमाण-पत्र संख्या - 5

शासनादेश संख्या 1301/(2)/2006 कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 22 जून 2006 एवं सपठित शासनादेश संख्या 1540/कार्मिक-2/2002 दिनांक 29 मार्च 2003

उत्तराखण्ड की अन्य पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती
सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नि श्री माता का नाम श्रीमती निवासी ग्राम
..... परगना तहसील जिला
..., उत्तराखण्ड की जाति के व्यक्ति हैं, यह जाति उत्तर प्रदेश की लोक सेवा की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों आरक्षण अधिनियम 1994 की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची-दो से आच्छादित नहीं हैं।
श्री/कुमारी/श्रीमती तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम
..... परगना तहसील जिला में सामान्यता रहता है।
यह प्रमाण पत्र लेखपाल श्री राजस्व निरीक्षक की जाँच आख्या दिनांक के आधार पर निर्गत किया गया।

तहसीलदार,

उत्तराखण्ड की अन्य पिछड़ी जाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र की जाँच आख्या प्रपत्र

1. आवेदक/आवेदिका का नाम कु0 /श्री /श्रीमती
2. आवेदक/आवेदिका के पिता का नाम श्री
3. आवेदक/आवेदिका के माता का नाम श्रीमती
4. पिता के मूल निवास का पता
5. आवेदक/आवेदिका की जन्म तिथि
6. आवेदक/आवेदिका के मूल निवास का पता
7. आवेदक/आवेदिका के वर्तमान निवास का पता
8. आवेदक/आवेदिका के परदादा का नाम
9. परदादा के मूल निवास का पता साक्ष्य संलग्नक नम्बर
10. आवेदक के दादा का नाम
11. दादा के मूल निवास का पता साक्ष्य संलग्नक नम्बर
12. आवेदक/आवेदिका की जाति
13. जाति किस श्रेणी के अन्तर्गत है
14. क्या आवेदक/आवेदिका उत्तराखण्ड का मूल निवासी है । (हाँ/नहीं)
15. क्या आवेदक/आवेदिका की उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची-दो से आच्छादित है या नहीं
16. अन्य अभियुक्ति

उपरोक्त बिन्दुओं पर जाँच मेरे द्वारा स्थल पर जाकर की गई है। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत समस्त विवरणों का इनके मूल अभिलेखों से मिलान कर सत्यापित कर दिया गया है मैं आवेदक /आवेदिका द्वारा प्रस्तुत पूर्ण विवरण से पूर्णतया संतुष्ट हूँ आवेदक/आवेदिका को पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र जारी करने की संस्तुति सहित आख्या सेवा में प्रेषित है।

हस्ताक्षर
लेखपाल का नाम
क्षेत्र

लेखपाल द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या एवं विवरण के सत्यापन से संतुष्ट होते हुए आवेदक/आवेदिका को पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र जारी करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर
राजस्व निरीक्षक का नाम
क्षेत्र

प्रमाण पत्र सं०. 6

(भूतपूर्व सैनिकों/आश्रितों तथा युद्ध में शहीद/युद्ध में अपंग सैनिकों के पुत्र/पुत्री के लिये प्रमाण-पत्र का प्रारूप)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री /कुमारी
भूत पूर्व सैनिकके पुत्र/पुत्री हैं। श्री
यूनिट में
पद पर दिनांकसे तक कार्यरत थे/सेवाकाल में कर्त्तव्यों के निर्वाह के लिये युद्ध में आहत/युद्ध में अपंग होने के कारण वीरगति/अक्षमता प्राप्त की थी।

दिनांक

सेना के सम्बन्धित यूनिट के अधिकारी के
हस्ताक्षर तथा सील

भूतपूर्व सैनिक का नाम
अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर

प्रमाण-पत्र संख्या - 7

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री
निवासी ग्राम तहसील जिला
लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित)
पुत्र/पुत्री/पौत्र/अविवाहित पौत्री उपरोक्त अधिनियम 1993 के ही प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

पूरा नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

पदनाम

.....

**संस्थाओं के नाम एवं कोड (पाठ्यक्रमानुसार उपलब्ध सीटों के ब्योरे सहित)
संयुक्त प्रवेश परीक्षा पालीटेकनिक्स-2012**

क्र०सं०	संस्था का नाम एवं प्रवेश क्षमता	E																T			M	P	G	H	योग (संस्थावार)					
		केमिकल इंजीनियरिंग	केमिकल टेक्नोलॉजी (खर एवं प्लास्टिक)	केमिकल टेक्नोलॉजी (पेन्ट)	सिविल इंजीनियरिंग	कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी०	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्यूटेशन इंजी०	इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी	इन्टीरियर डिजाइन एण्ड डेकोरेशन	मैकेनिकल इंजी०	मैकेनिकल इंजी० (शाटमोबाइल इंजी०)	आटोमोबाइल इंजीनियरिंग	प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी	लेदर टेक्नोलॉजी (लेनिन)	लेदर टेक्नो० फुटवियर	आर्किटेक्चरल एसिस्टेंटाशिप	एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग	टेक्सटाईल डिजाइन	गार्मेन्ट टेक्नोलॉजी	फैशन डिजाइनिंग	मार्डन ऑफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रिट्रियल प्र०	डिप्लोमा इन फार्मसी		पी०जी० डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेन्ट एंड कैंट० टेक्नो			
राजकीय संस्थान																														
1.	राजकीय महिला पालीटेकनिक अल्मोड़ा 05962-230565					40	40		40																	40		40		200
2.	राजकीय महिला पालीटेकनिक देहरादून 0135-2772510					40	40			40																40				160
3.	राजकीय पालीटेकनिक कोटाबाग 05942-285453					40	40																							80
4.	राजकीय पालीटेकनिक, गोपेश्वर 01372-251527								40																					40
5.	राजकीय पालीटेकनिक, जखोली								40																					40
6.	राजकीय पालीटेकनिक पित्थूवाला, देहरादून 0135-2641773				40	40	40	40			40	40															40			280
7.	राजकीय पालीटेकनिक द्वाराहाट (अल्मोड़ा) 05966-244227				40	40	40	40																		40	40	40		280
8.	राजकीय पालीटेकनिक गोचर (चमोली) 01363-2401619				40		40	40																			40			160
9.	राजकीय पालीटेकनिक काशीपुर (उधमसिंहनगर): 05947-274034	40		40	40	40	40	40			40							40									40	40		360
10.	राजकीय पालीटेकनिक लोहाघाट (चम्पावत) 05965-234535				40		40	40																		40	40			200
11.	राजकीय पालीटेकनिक नैनीताल 05942-236251				40	40	40	40			40															40	40	40		320
12.	राजकीय पालीटेकनिक नरेन्द्रनगर (टि०ग०) 01378-213074						40	40	40																		40	40		200
13.	राजकीय पालीटेकनिक शक्तिफार्म (उधम सिंह नगर): 05948-244303	40	40				40																							120

क्र०सं०	ग्रुप कोड →	E														T	M	P	G	H	योग (संस्थावार)							
	संस्था का नाम एवं प्रवेश क्षमता	कैम्पिकल इंजीनियरिंग	कैम्पिकल टेक्नोलॉजी (खर एवं प्लास्टिक)	कैम्पिकल टेक्नोलॉजी (पेट)	सिविल इंजीनियरिंग	कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी०	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्यूनिकेशन इंजी०	इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी	इन्टीरियर डिजाइन एण्ड डेकोरेशन	मैकेनिकल इंजी०	मैकेनिकल इंजी० (आटोमोबाइल इंजी०)	आटोमोबाइल इंजीनियरिंग	प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी	लेदर टेक्नोलॉजी (टेनिंग)	लेदर टेक्नो० फुटवियर	आर्किटेक्चरल एसिस्टेंटाशिप	एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग	टेक्सटाईल डिजाइन		गारमेट टेक्नोलॉजी	फैशन डिजाइनिंग	मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट एण्ड सेक्रिट्रियल प्र०	डिप्लोमा इन फार्मेसी	पी०जी० डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड केटो टेक्नो	
14.	राजकीय पालीटेकनिक श्रीनगर (गढ़वाल) 01346-251128				40	40	40	40		40		40	40												40			320
15.	राजकीय पालीटेकनिक सल्ट (अल्मोड़ा) 05966-285941							40																				40
16.	राजकीय पालीटेकनिक उत्तरकाशी 01374-222240				40		40	40															40	40				200
17.	राजकीय रूरल पालीटेकनिक ताकुला (अल्मोड़ा) 05962-253041							40															40					80
18.	राजकीय रूरल पालीटेकनिक थलनदी(पौड़ी) 01382-285309							40															40					80
19.	राजकीय पालीटेकनिक कोटद्वार (पौड़ी) 01338-2229364					40		40																				80
20.	राजकीय पालीटेकनिक गरुड़ (बागेश्वर) 05963-250785										40																	40
21.	राजकीय पालीटेकनिक कालाडुंगी (नैनीताल) 05942-242005					40																						40
22.	राजकीय पालीटेकनिक गणार्ई गंगोली(पिथौरागढ़) 05964-240554								40																			40
23.	राजकीय पालीटेकनिक रतूड़ा, रूद्रप्रयाग					40																						40
24.	राजकीय पालीटेकनिक गढीश्यामपुर ऋषिकेश 0135-2450271						40																					40
25.	राजकीय पालीटेकनिक सहिया (देहरादून) 0135-274319										40																	40
26.	राजकीय पालीटेकनिक सतपुली (पौड़ी)										40																	40
27.	राजकीय पालीटेकनिक, नई टिहरी 01376-254158						40																					40
28.	राजकीय पालीटेकनिक बीरोंखाल (पौड़ी)				40																							40
29.	राजकीय पालीटेकनिक काण्डा (बागेश्वर) 9411538331										40																	40

क्र०सं०	ग्रुप कोड →	E																	T	M	P	G	H	योग (संस्थावार)			
	संस्था का नाम एवं प्रवेश क्षमता	कैमिकल इंजीनियरिंग	कैमिकल टेक्नोलॉजी (खबर एवं प्लास्टिक)	कैमिकल टेक्नोलॉजी (पेट)	सिविल इंजीनियरिंग	कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी०	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्यूटेशन इंजी०	इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी	इन्डियन डिजाइन एण्ड डेकोरेशन	मैकेनिकल इंजी०	मैकेनिकल इंजी० (आटोमोबाइल इंजी०)	आटोमोबाइल इंजीनियरिंग	प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी	लेदर टेक्नोलॉजी (टेनिंग)	लेदर टेक्नो० फुटविद्य	आर्किटेक्चरल एसिस्टेंसिप	एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग	टेक्सटाईल डिजाइन	गारमेट टेक्नोलॉजी	फैशन डिजाइनिंग	मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट एण्ड सेक्रिट्रियल प्र०		डिप्लोमा इन फार्मेसी	पी०जी० डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड केटो टेक्नो
30.	राजकीय पालीटेकनिक आमवाला (देहरादून) 0135-2787727						40																				40
31.	राजकीय पालीटेकनिक विकासनगर (देहरादून) 01360-222380						40																				40
32.	राजकीय पालीटेकनिक सिडकुल (हरिद्वार) 01334-242090						40																				40
33.	राजकीय पालीटेकनिक पन्तनगर 05944-233500						40																				40
34.	राजकीय पालीटेकनिक मल्लासालम 05962-256065					40																					40
35.	राजकीय पालीटेकनिक कनालीछीना 05964-259055						40																				40
36.	राजकीय पालीटेकनिक चौनलिया 9456370864																						40				40
37.	राजकीय पालीटेकनिक डिडीहाट (पिथौरागढ़) 0594-232010																						40				40
38.	राजकीय पालीटेकनिक बड़कोट (उत्तरकाशी)			40																							40
39.	राजकीय पालीटेकनिक हिण्डोलाखाल (टिहरी)										40																40
40.	राजकीय पालीटेकनिक मूनाकोट (पिथौरागढ़)			40																							40
41.	राजकीय पालीटेकनिक कपकोट (बागेश्वर)																						40				40
राजकीय सहायता प्राप्त गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थान																											
42.	के०एल०पालीटेकनिक, रूड़की 01332-262305				40		40 *6	40 *6			40 *6	40													40 *7		265

क्र०सं०	ग्रुप कोड →	E														T			M	P	G	H	योग (संस्थावार)		
	संस्था का नाम एवं प्रवेश क्षमता	कैम्पिकल इंजीनियरिंग	कैम्पिकल टेक्नोलॉजी (रबर एवं प्लास्टिक)	कैम्पिकल टेक्नोलॉजी (पेट)	सिविल इंजीनियरिंग	कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी०	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्यूनिकेशन इंजी०	इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी	इन्टीरियर डिजाइन एण्ड डेकोरेशन	मैकेनिकल इंजी०	मैकेनिकल इंजी० (आटोमोबाइल इंजी०)	आटोमोबाइल इंजीनियरिंग	प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी	लेदर टेक्नोलॉजी (टेनिंग)	लेदर टेक्नो० फुटवियर	आर्किटेक्चरल एसिस्टेंसिप	एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग	टेक्सटाईल डिजाइन	गारमेंट टेक्नोलॉजी	फैशन डिजाइनिंग		मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट एण्ड सेक्रिट्रियल प्र०	डिप्लोमा इन फार्मसी

निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थान

43.	बी०एस०नेगी, महिला प्रा०प्र०सं० देहरादून 0135-2756112										30									30	30	60	60		30		240	
44.	ब्ल्यू माउन्टेन कालेज आफ होटल मैनेजमेंट देहरादून 0135-2608128			60		60	60				60	60															120	420
45.	आम्रपाली इन्स्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी हल्द्वानी																										60	60
46.	ज्ञानी इन्दर सिंह इन्स्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज देहरादून 0135-2734575																								60			60
47.	रूड़की कालेज आफ फार्मसी रूड़की 01332-232624																								60			60
48.	मार्डन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, ऋषिकेश 0135-2435220	60		60		60					60													60				300
49.	शाकुम्भरी इन्स्टीट्यूट आफ एजुकेशन, पुहाना, रूड़की 9457673294			60	60	60	60				60	60												60				420
50.	श्री देवभूमि इन्स्टीट्यूट आफ एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देहरादून 0135-3242626			60		60					60		60											60				300
51.	नारायण स्वामी इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस एवं रिसर्च देहरादून 9758667658																							60				60

क्र०सं०	ग्रुप कोड →	E														T	M	P	G	H	योग (संस्थावार)						
	संस्था का नाम एवं प्रवेश क्षमता	कैम्पिकल इंजीनियरिंग	कैम्पिकल टेक्नोलॉजी (रबर एवं प्लास्टिक)	कैम्पिकल टेक्नोलॉजी (पेट)	सिविल इंजीनियरिंग	कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी०	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्यूटेशन इंजी०	इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी	इन्टरियर डिजाइन एण्ड डेकोरेशन	मैकेनिकल इंजी०	मैकेनिकल इंजी० (आटोमोबाइल इंजी०)	आटोमोबाइल इंजीनियरिंग	प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी	लेदर टेक्नोलॉजी (टेनिंग)	लेदर टेक्नो० फुटवियर	आर्किटेक्चरल एसिस्टेंसिप	एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग	टेक्सटाईल डिजाइन		गारमेंट टेक्नोलॉजी	फैशन डिजाइनिंग	मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट एण्ड सेक्रिट्रियल प्र०	डिप्लोमा इन फार्मेसी	पी०जी० डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड के० टेक्नो
52.	रामानन्द इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी, ज्वालापुर हरिद्वार 01334-213763			60		60	60				60													60			300
53.	बिशम्बर सहाय डिप्लोमा इंजी० कालेज सालियर, रूड़की 01332-264070				120	60	60	60			60																360
54.	रूड़की कालेज आफ पालीटेकनिक, किशननगर रूड़की 01332-232977				60	60	60	60			120																360
55.	कालेज आफ एडवान्स टेक्नोलॉजी, ग्राम नन्हेड़ा, नियर पुहाना, रूड़की 01332-229620				60		60	60			60	60															300
56.	उत्तराटेक पालीटेकनिक धनौरी, ग्राम धनौरी, रूड़की 9411152252				60		60	60			60	60															300
57.	ओम इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी नियर क्रिस्टल वर्ल्ड, रूड़की हरिद्वार 01332-239500				60	60	60	60			60													60			360
58.	सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून 0135-2607784																							60			60
59.	श्रीमती मंजीरा देवी शिक्षण एवं प्रशिक्षण समिति हिटानो धनारी, उत्तरकाशी 9997259940				60		60	60			60													60			300
60.	सनराईज एकेडमी मैनेजमेंट सोसाइटी, अपोसिट डील, रायपुर रोड़ देहरादून 0135-2788059																							60			60
61.	एल्पाईन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी नन्दा की चौकी, वाया प्रेमनगर देहरादून 0135-2773869				60						60	60												60		60	300

क्र०सं०	संस्था का नाम एवं प्रवेश क्षमता	E															T	M	P	G	H	योग (संस्थावार)						
		केमिकल इंजीनियरिंग	केमिकल टेक्नोलॉजी (रबर एवं प्लास्टिक)	केमिकल टेक्नोलॉजी (पेट्रोल)	सिविल इंजीनियरिंग	कंप्यूटर साइंस एण्ड इंजी०	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्यूटेशन इंजी०	इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी	इन्टीरियर डिजाइन एण्ड डेकोरेशन	मैकेनिकल इंजी०	मैकेनिकल इंजी० (आटोमोबाइल इंजी०)	आटोमोबाइल इंजीनियरिंग	प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी	लेदर टेक्नोलॉजी (टेनिंग)	लेदर टेक्नो० फुटवियर	आर्किटेक्चरल एसिस्टेंसिप	एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग	टेक्सटाईल डिजाइन	गारमेंट टेक्नोलॉजी		फैशन डिजाइनिंग	मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट एण्ड सेक्रिट्रियल प्र०	डिप्लोमा इन फार्मसी	पी०जी० डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड केटो टेक्नो	
3.	राजकीय पालीटेकनिक नैनीताल					20					20																	40
4.	राजकीय पालीटेकनिक नरेन्द्रनगर					20	20		20																			60
5.	राजकीय पालीटेकनिक श्रीनगर (गढ़वाल)				20	20	20				20																	80
6.	के०एल०पालीटेकनिक, रुड़की				20	20	20				20														20			100
7.	फोनिक्स ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूट, इमलीखेड़ा रुड़की 01332-287501					60																						60
उत्तर प्रदेश में उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित सीटों हेतु संस्थान																												
1.	एन०आर०आई०पी०टी० इलाहाबाद													02														02
2.	राजकीय चर्म संस्थान आगरा														01	02												03
3.	राजकीय चर्म संस्थान कानपुर														01	02												03
4.	डा० भीमराव अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, कानपुर																02*						02*		02*			06
योग (पाठ्यक्रमानुसार)		160	40	40	1760	880	1546	1746	120	520	70	1706	660	180	2	2	4	2	60	30	30	60	502	1140	259	240	11759	
योग (ग्रुपवार)		9498															120			502	1140	259	240	11759				

संयुक्त प्रवेश परीक्षा-पालीटेकनिकस-2012 हेतु सीटों की संख्या	
राजकीय पालीटेकनिकों में सीटों की संख्या	4594
राजकीय सहायता प्राप्त संस्थानों में सीटों की संख्या	265
निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थानों में सीटों की संख्या	6900
योग	11759

- नोट:** 1. उपरोक्त संस्थायें तथा प्रवेश क्षमता अनन्तिम हैं। इनमें विभाग द्वारा कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।
 2. * छात्र संख्या केवल विकलांग अभ्यर्थियों के लिये है।
 3. काशीपुर में संचालित एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु हाईस्कूल कृषि के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र होंगे।
 4. क्रम सं० 43 से 69 तक एवं द्वितीय पाली प्रशिक्षण में क्रम सं० 7 के प्रशिक्षण संस्थान निजी क्षेत्र के हैं अतः इन संस्थानों में उपरोक्त स्वीकृत सीटों में से राज्य कोटे एवं मैनेजमेन्ट कोटे की सीटों का विभाजन शासन के नवीनतम शासनादेश अथवा निर्देशों के आधार पर किये जायेंगे। साथ ही शिक्षण शुल्क भी शासन के निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा जिसकी जानकारी काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थी को दी जायेगी।
 5. शासनादेश सं० 740/XLI-1/2011-26/10 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग, देहरादून दिनांक 19 अगस्त 2011 के अनुसार गुप-ए के अनुसार इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु शासनादेश में दर्शायी गयी शाखाओं में 10-10 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें क्रमशः आईटीआई तथा 10+2 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिये निम्नानुसार होंगी।

शासनादेश संख्या— 740 / XLI-1/2011-26/10 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग, देहरादून दिनांक 19 अगस्त 2011 का संलग्नक—1
डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु आईटीआई ट्रेडवार न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं पाठ्यक्रमों का विवरण

क्र० सं०	आईटीआई ट्रेड का नाम	अवधि आईटीआई ट्रेड	प्रवेश हेतु न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम (द्वितीय वर्ष)	उत्तीर्ण किये जाने वाले अनिवार्य विषय	टिप्पणी	डिप्लोमा द्वितीय वर्ष में प्रवेश क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	फिटर	02 वर्ष	हाईस्कूल/समकक्ष (गणित, विज्ञान विषय सहित) उत्तीर्ण (10+2 स्कीम) * प्रारम्भिक गणित नहीं	मैकेनिकल इंजी०	1. English & Communication Skills-I 2. Applied Mathematics-I 3. Applied Physics-I 4. Applied Chemistry-I 5. Basics of Information Technology	स्तम्भ-6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
2.	टर्नर	02 वर्ष	—तदैव—	मैकेनिकल इंजी०	1. English & Communication Skills-I 2. Applied Mathematics-I 3. Applied Physics-I 4. Applied Chemistry-I 5. Basics of Information Technology	स्तम्भ-6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
3.	मशीनिष्ट	02 वर्ष	—तदैव—	मैकेनिकल इंजी०	1. English & Communication Skills-I 2. Applied Mathematics-I 3. Applied Physics-I 4. Applied Chemistry-I 5. Basics of Information Technology	स्तम्भ-6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
4.	रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कण्डीशन मैकेनिक	02 वर्ष	—तदैव—	मैकेनिकल इंजी०	1. English & Communication Skills-I 2. Applied Mathematics-I 3. Applied Physics-I 4. Applied Chemistry-I 5. Basics of Information Technology	स्तम्भ-6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
5.	ड्राफ्टसमैन मैकेनिकल	02 वर्ष	—तदैव—	मैकेनिकल इंजी०	1. English & Communication Skills-I 2. Applied Mathematics-I 3. Applied Physics-I 4. Applied Chemistry-I 5. Basics of Information Technology	स्तम्भ-6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।

डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु आई0टी0आई0 ट्रेडवार न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं पाठ्यक्रमों का विवरण

6.	मैकेनिकल मोटर व्हीकल	02 वर्ष	—तदैव—	मैकेनिकल इंजी0 (ओटोमाबाईल)	1. English & Communication Skills-I 2. Applied Mathematics-I 3. Applied Physics-I 4. Applied Chemistry-I 5. Basics of Information Technology	स्तम्भ-6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
7.	इलेक्ट्रीशियन	02 वर्ष	—तदैव—	इलेक्ट्रिकल इंजी0	1. English & Communication Skills-I 2. Applied Mathematics-I 3. Applied Physics-I 4. Applied Chemistry-I 5. Basics of Information Technology	स्तम्भ-6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
8.	वायरमैन	02 वर्ष	—तदैव—	इलेक्ट्रिकल इंजी0	1. English & Communication Skills-I 2. Applied Mathematics-I 3. Applied Physics-I 4. Applied Chemistry-I 5. Basics of Information Technology	स्तम्भ-6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
9.	ड्राफ्ट्समैन सिविल	02 वर्ष	—तदैव—	सिविल इंजी0	1. English & Communication Skills-I 2. Applied Mathematics-I 3. Applied Physics-I 4. Applied Chemistry-I 5. Basics of Information Technology	स्तम्भ-6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
10.	सर्वेयर	02 वर्ष	—तदैव—	सिविल इंजी0	1. English & Communication Skills-I 2. Applied Mathematics-I 3. Applied Physics-I 4. Applied Chemistry-I 5. Basics of Information Technology	स्तम्भ-6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
11.	मैकेनिक रेडियो एण्ड टी0वी0	02 वर्ष	—तदैव—	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी0	1. English & Communication Skills-I 2. Applied Mathematics-I 3. Applied Physics-I 4. Applied Chemistry-I 5. Basics of Information Technology	स्तम्भ-6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
12.	मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स	02 वर्ष	—तदैव—	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी0	1. English & Communication Skills-I 2. Applied Mathematics-I 3. Applied Physics-I 4. Applied Chemistry-I 5. Basics of Information Technology	स्तम्भ-6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
13.	इन्स्ट्रुमेन्ट मैकेनिक	02 वर्ष	—तदैव—	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी0	1. English & Communication Skills-I 2. Applied Mathematics-I 3. Applied Physics-I 4. Applied Chemistry-I 5. Basics of Information Technology	स्तम्भ-6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।

डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु आई0टी0आई0 ट्रेडवार न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं पाठ्यक्रमों का विवरण

14.	मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉ. कम्यूनिकेशन सिस्टम	02 वर्ष	—तदैव—	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी0	1. English & Communication Skills-I 2. Applied Mathematics-I 3. Applied Physics-I 4. Applied Chemistry-I 5. Basics of Information Technology	स्तम्भ-6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
15.	इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड इलै0 सिस्ट0 मैन्टि0	02 वर्ष	—तदैव—	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी0	1. English & Communication Skills-I 2. Applied Mathematics-I 3. Applied Physics-I 4. Applied Chemistry-I 5. Basics of Information Technology	स्तम्भ-6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।

उपरोक्तानुसार 2 वर्षीय आई0टी0आई0 फिटर, टर्नर, मशीनिष्ट, रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कंडीशन मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी यांत्रिक अभियंत्रण/ मैकेनिकल मोटर व्हीकल प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी यांत्रिक अभियंत्रण (आटोमोबाईल)/ इलैक्ट्रीशियन, वायरमैन प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी विद्युत इंजी0/ड्राफ्ट्समैन, सर्वेयर प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी सिविल इंजी0/मैकेनिक रेडियो एंड टी0वी0, मैकेनिक इलेक्ट्रानिक्स, इन्स्ट्रुमेन्ट मैकेनिक, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉ. कम्यूनिकेशन सिस्टम, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड इलै0 सिस्ट0 मैन्टि0 प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी इलेक्ट्रानिक्स इंजी0 द्वितीय वर्ष में प्रवेश के पात्र होंगे। अतः आई0टी0आई0 उत्तीर्ण छात्र कृपया उपरोक्त सारिणी का भली-भाँति अध्ययन कर सुनिश्चित कर लें कि वह जिस पाठ्यक्रम में आवेदन करना चाहते हैं, उससे सम्बन्धित प्रवेश अर्हता एवं अन्य शर्तें पूर्ण करते हैं।

शासनादेश संख्या— 740/XLI-1/2011-26/10 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग, देहरादून दिनांक 19 अगस्त 2011 का संलग्नक—2

डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण तथा न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं पाठ्यक्रमों का विवरण

क्र0 सं0	शैक्षिक योग्यता	प्रवेश हेतु न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	प्रस्तावित डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम (द्वितीय वर्ष)	उत्तीर्ण किये जाने वाले अनिवार्य विषय	टिप्पणी	डिप्लोमा द्वितीय वर्ष में प्रवेश क्षमता
1	2	3	4	5	6	7
1.	इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण (भौतिकी, रसायन एवं गणित विषय सहित)	हाईस्कूल/समकक्ष (गणित, विज्ञान विषय सहित) उत्तीर्ण (10+2 स्कीम) ' प्रारम्भिक गणित नहीं	कोई भी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम	1. English & Communication Skills-I 2. Applied Mathematics-I 3. Applied Physics-I 4. Applied Chemistry-I 5. Basics of Information Technology 6. Engineering Drawing-I	स्तम्भ-5 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
2.	इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण (व्यावसायिक/ प्राविधिक विषय सहित)	हाईस्कूल/समकक्ष (गणित, विज्ञान विषय सहित) उत्तीर्ण (10+2 स्कीम) ' प्रारम्भिक गणित नहीं	व्यावसायिक/ प्राविधिक विषय के अनुसार संबंधित इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम	1. English & Communication Skills-I 2. Applied Mathematics-I 3. Applied Physics-I 4. Applied Chemistry-I 5. Basics of Information Technology 6. Engineering Drawing-I	स्तम्भ-5 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।

राजकीय / महिला / ग्रामीण / सहायता प्राप्त पालीटेकनिक संस्थाओं में उत्तराखण्ड शासनादेश सं० 752-A / XXIV(8)/2010-61/09 दिनांक 8 जून, 2010 द्वारा निर्धारित शुल्क ढाँचा:-

क्र० सं०	शुल्क की मर्दे	शुल्क दरें रु० में
1	शिक्षण शुल्क	6000.00
2	छात्र निधि शुल्क	3950.00
1	प्रवेश फार्म एवं प्रवेश शुल्क निबंधन	50.00
2	परिचय पत्र शुल्क	50.00
3	क्रीडा शुल्क	250.00
4	वार्षिकोत्सव शुल्क	100.00
5	शैक्षिक परीक्षा शुल्क	200.00
6	मेग्जीन शुल्क	100.00
7	हॉबी सेन्टर शुल्क	50.00
8	विद्युत शुल्क	700.00
9	कॉसन मनी संस्थागत (refundable)	200.00
10	शैक्षिक/औद्योगिक भ्रमण	300.00
11	अनुरक्षण शुल्क	1000.00
12	कम्प्यूटर/इन्टरनेट शुल्क	250.00
13	विकास/भवन विकास शुल्क	300.00
14	पुस्तकालय शुल्क	100.00
15	चिकित्सा शुल्क	0.00
16	छात्र वेलफेयर शुल्क	100.00
17	एन०सी०सी० शुल्क	100.00
18	पुस्तकालय काशन मनी	100.00
	छात्रावास शुल्क	2550.00
19	छात्रावास शुल्क	600.00
20	छात्रावास काशन मनी	200.00
21	छात्रावास अनुरक्षण शुल्क	1000.00
22	छात्रावास विद्युत शुल्क	700.00
23	बर्तन चन्दा	50.00
3	बोर्ड परीक्षा शुल्क	
	मुख्य परीक्षा शुल्क (सभी छात्रों हेतु एक समान)	500.00
	बैक पेपर परीक्षा शुल्क (सभी छात्रों हेतु एक समान)	200/- प्रति विषय
	स्क्रूटनी शुल्क	250/- प्रति विषय
	अंकतालिका शुल्क (संस्था द्वारा निर्गत करने पर)	20.00
	(परिषद् द्वारा निर्गत करने पर)	30.00
	पुर्नमूल्यांकन	2000/- प्रति विषय

निजी क्षेत्र के पालीटेकनिक संस्थाओं में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 1363/XXIV(8)/2009-03/04 दिनांक 27 अक्टूबर, 2009 एवं 600/XXIV(8)/2010-51/2005 दिनांक 28 अप्रैल 2010 के अनुसार शुल्क ढाँचा:—

क्र० सं०	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित शुल्क
1	शाकुम्भरी इन्स्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एवं टेक्नोलाजी, रूड़की	डी०फार्मा	रु० 45000 प्रतिवर्ष (अनन्तिम)
2	विशम्बर सहाय डिप्लोमा इंजी० कालेज, देहरादून	इंजीनियरिंग शाखा	रु० 35000 प्रतिवर्ष (अनन्तिम)
3	माडर्न इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, ऋषिकेश	डी०फार्मा	रु० 45000 प्रतिवर्ष (अनन्तिम)
4	ज्ञानी इन्दर सिंह इन्स्टीट्यूट आफ एजुकेशन साइन्स एवं टेक्नोलाजी, देहरादून	डी०फार्मा	रु० 45000 प्रतिवर्ष
5	रूड़की कालेज आफ फार्मेसी किशनपुर, रूड़की	डी०फार्मा	रु० 45000 प्रतिवर्ष
6	श्री देव भूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइन्स एवं टेक्नोलाजी, देहरादून	डी०फार्मा	रु० 45000 प्रतिवर्ष (अनन्तिम)
7	बी०एस० नेगी, महिला प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून	फैशन डिजायन, गारमेन्ट टेक्नोलाजी	रु० 22300 प्रतिवर्ष
8	सिद्धार्थ इन्स्टीट्यूट आफ फार्मेसी सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून	डी०फार्मा	रु० 45000 प्रतिवर्ष
9	रामानन्द इन्स्टीट्यूट आफ फार्मेसी, ज्वालापुर हरिद्वार	डी०फार्मा	रु० 45000 प्रतिवर्ष

डिप्लोमा स्तरीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों से संबंधित ऐसे संस्थान जिनके द्वारा अभी तक शुल्क निर्धारण का प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया है, उनके द्वारा भी अनन्तिम रूप से रु० 35000/- का वार्षिक शुल्क तथा डी०फार्मा हेतु रु० 45000/- प्रतिवर्ष ही छात्रों से लिया जायेगा। निजी क्षेत्र के होटल मैनेजमेन्ट संस्थानों में उत्तराखण्ड के शासनादेश सं० 773/XXIV(8) /2006-51 / 2005 TC दिनांक 23 अगस्त 2006 के अनुसार होटल मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम के लिये रु० 43000/- निर्धारित किया गया है।

उत्तराखण्ड प्राविधिक परिषद् द्वारा पालीटेकनिक संस्थाओं संचालित पाठ्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	पाठ्यक्रम परिचय	रोजगार के अवसर
1	केमिकल इंजीनियरिंग	तीन वर्ष	केमिकल प्लान्ट आपरेशन, विभिन्न उपकरणों, मशीनों की सर्विसिंग, विभिन्न उत्पाद निर्माण प्रक्रिया तकनीक, प्रोसेस कंट्रोल, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का सेटअप, पर्यावरण प्रदूषण, सेफ्टी तकनीक।	केमिकल निर्माण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, डिस्टिलरी उद्योग में, शुगर मिल्स में, विभिन्न सरकारी उद्योगों में, शैक्षिक संस्थाओं में, दवा उद्योगों में, विभिन्न उत्पादक उद्योगों में तथा स्वरोजगार।
2	केमिकल टेक्नोलाजी (पेन्ट)	तदैव	तदैव	तदैव
3	केमिकल टेक्नोलाजी (रबर एवं प्लास्टिक)	तदैव	प्लास्टिक एवं रबर निर्माण, प्रक्रिया तकनीक, मशीन मेन्टीनेंस, नये उपयोगी उत्पाद निर्माण प्रक्रिया, टेस्टिंग व क्वालिटी कंट्रोल की जानकारी	विभिन्न रबर व प्लास्टिक मैटीरियल उद्योगों में तथा स्वरोजगार।
4	इलेक्ट्रानिक्स इंजी०	तदैव	इलेक्ट्रानिक्स आइटम की एसेम्बली, मैनुफैक्चरिंग सर्विसिंग एण्ड मेन्टीनेंस, सेल्स एण्ड मार्केटिंग।	एच०ए०एल०, टी०वी० निर्माण कम्पनी, आकाशवाणी, एअरपोर्ट अथॉरिटी, नागरिक उड्डयन, डाक एवं तार विभाग, दूरसंचार, बी०ई०एल०, बी०एच०ई०एल० विद्युत परिषद्, इलेक्ट्रानिक्स निर्माण उद्योग।
5	कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग	तदैव	कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर के सम्बन्ध में जानकारी।	कम्प्यूटर निर्माण उद्योग/प्रतिष्ठान एवं कार्यालय, अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य, साफ्टवेयर निर्माण उद्योग में।
6	इन्टीरियर डेकोरेशन एण्ड डिजाइन	तदैव	भवनों की आन्तरिक साज-सज्जा की प्लानिंग, ड्रापिंग तथा सुपरविजन।	डिजाइनिंग कन्सलटेन्सी, टूरिज्म विभाग, निजी निर्माण, समस्त शो रूम में, फर्नीचर डिजाइन आदि में।
7	इन्फॉर्मेशन टेक्नोलाजी	तदैव	वेब डिजाइनिंग, बिजनेस शापिंग तथा इन्टरनेट द्वारा त्वरित सूचनाओं का आदान-प्रदान।	सरकारी एवं निजी संस्थाओं में रोजगार।
8	टेक्सटाईल डिजाइन	तदैव	फैब्रिक डिजाइन, ड्राइंग, ब्लिचिंग, बॉटिक, स्टेन्सिल प्रिंटिंग/डिजाइन, मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस आदि।	कपड़ा उद्योग, हैण्डलूम उद्योग, विभिन्न सरकारी विभागों में, डाइंग तथा प्रिंटिंग में स्वरोजगार।
9	फार्मसी	दो वर्ष	बायो-कैमिस्ट्री, स्वास्थ्य शिक्षा मानव शरीर-संरचना क्रिया प्रणाली, दवा निर्माण तकनीक।	सरकारी/गैर सरकारी दवा स्टोर रूम में, शिक्षण संस्थाओं में तथा दवा निर्माण कम्पनी में।
10	गारमेन्ट टेक्नोलाजी	तीन वर्ष	ड्रेस डिजाइनिंग, पैटर्न ड्रापिंग, फैब्रीकेशन टेकनीक से सम्बन्धित जानकारी	परिधान निर्माण उद्योग, टेक्सटाईल डाइंग, प्रिंटिंग, एक्सपोर्ट हाउसेस, बुटीक केन्द्र तथा स्वरोजगार।
11	माडर्न आफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस	दो वर्ष	सचिवीय कार्य/वैयक्तिक सहायक के कार्य	केन्द्रीय, राज्य सरकार एवं निजी संस्थानों में।
12	फैशन डिजाइनिंग	तीन वर्ष	पैटर्न ड्रापिंग/डिजाइनिंग, स्केचिंग, फैब्रीकेशन टैकनिक इम्प्रायडरी आदि।	परिधान निर्माण उद्योग, फैशन म्युजियम्स, मैगजीन डिजाइनर तथा फैशन शो में।
13	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	दो वर्ष	कम्प्यूटर साफ्टवेयर के सम्बन्ध में जानकारी	सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में कम्प्यूटर उद्योगों में, निजी प्रतिष्ठानों में एवं अन्य में।
14	अन्य पाठ्यक्रम सिविल, विद्युत, यांत्रिक	तीन वर्ष	सम्बन्धित विषय में पूर्ण जानकारी	सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में सम्बन्धित उद्योगों में, निजी प्रतिष्ठानों एवं अन्य उद्योगों में।

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की

स्थापना

वर्ष 2004 में उत्तराखण्ड सरकार के द्वारा उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् की स्वतन्त्र रूप से स्थापना हुई।

संस्थाएँ एवं पाठ्यक्रम

उत्तराखण्ड राज्य में प्राविधिक शिक्षा की राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय, सहायता प्राप्त एवं निजी डिप्लोमा स्तर की 70 संस्थाएँ हैं, जिनमें रोजगारपरक तथा उद्योगोन्मुखी परम्परागत तकनीकी तथा नई उभरती तकनीकी के 20 पाठ्यक्रम संचालित हैं।

डिप्लोमा उत्तीर्ण किये जाने के लिए आवश्यक नियम/निर्देश

- **सेमेस्टर पाठ्यक्रम:** उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 474/XXIV(8)/10-38/2010 दिनांक 1 अप्रैल 2010 के अनुसार सेमेस्टर पाठ्यक्रम के लिये निम्नानुसार व्यवस्था लागू की गयी है।
 - सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत छात्रों के परीक्षा परिणाम वार्षिक आधार पर (द्वितीय/चतुर्थ/षष्ठम सेमेस्टर में) घोषित किये जायेंगे।
 - प्रत्येक छात्र अधिकतम 5 विषयों में अनुत्तीर्ण होने पर तृतीय/पंचम सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्राप्त कर सकेगा अर्थात् 6 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने पर छात्र को कक्षोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी तथा ऐसे छात्र को आगामी सत्र में अनुत्तीर्ण विषयों की परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जायेगा।
- **वार्षिक पाठ्यक्रम:** छात्र विनियमावली 1992 के अनुसार वार्षिक पाठ्यक्रम में प्रत्येक वार्षिक परीक्षा में दो बैक पेपर से अधिक होने पर छात्र अनुत्तीर्ण घोषित किये जायेंगे एवं अभ्यर्थी को आगामी वर्ष में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जायेगा। दो बैक पेपर के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी को कक्षोन्नति प्रदान की जायेगी एवं अभ्यर्थी आगामी परीक्षा में बैक पेपर के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी।

पठन-पाठन की व्यवस्था

- विज्ञान एवं टेक्नोलाजी के क्षेत्र में हो रहे बहुआयामी विकास के कारण प्रदेश के आद्योगिक परिदृश्य में हो रहे क्रान्तिकारी परिवर्तनों के अनुरूप तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों में शिक्षण-प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था है।
- तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता के अनुरूप साज-सज्जा, आधुनिक मशीनों तथा प्रशिक्षण व्यवस्था का सुदृढीकरण, उद्योगोन्मुखी एवं रोजगारपरक नवीन पाठ्यक्रमों की आधारभूत संरचना।

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं ओ०बी०सी० अभ्यर्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ सम्बन्धी जानकारी

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं ओ०बी०सी० के अर्ह अभ्यर्थियों को प्रवेश के उपरान्त शिक्षण शुल्क छात्रवृत्ति के रूप में वापस किया जाता है।

महिलाओं हेतु विशेष व्यवस्था

- ❖ महिलाओं हेतु प्रदेश में 3 पालीटेकनिक संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें चल रहे रुचिकर एवं रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में केवल महिलाओं के लिए ही प्रशिक्षण उपलब्ध है।
- ❖ महिला पालीटेकनिकों के अतिरिक्त महिलाओं के लिये समस्त पालीटेकनिकों में 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था भी की गयी है।
- ❖ छात्राओं के लिए बस सुविधा, छात्रावास, एन0एस0एस0 प्रशिक्षण एवं पुस्तकालय एवं वाचनालय की सुविधा भी उपलब्ध है।

शिक्षणोत्तर क्रियाकलाप

संस्था स्तर/क्षेत्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर खेलकूद, वादविवाद, सांस्कृतिक एवं अन्य बहुआयामी कार्यक्रमों का आयोजन।

विकलांगों हेतु विशेष प्रशिक्षण

श्रवण एवं अस्थि विकलांगों को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु के0एल0पालीटेकनिक रुड़की (हरिद्वार) में विकलांग अभ्यर्थियों हेतु भारत सरकार द्वारा संस्थान में विकलांग छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण, छात्रावासीय सुविधा, रू0 190.00 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति, रू0 250.00 प्रतिमाह की फूड सब्सिडी तथा संस्था की निशुल्क यूनीफार्म प्रदान की जाती है।

ऑनलाईन काउंसिलिंग एवं सीट आवंटन का संक्षिप्त विवरण

परिषद् द्वारा प्रवेश परीक्षाफल घोषणा के उपरान्त भारत सरकार की इकाई एन0आई0सी0 के सहयोग से आनलाईन काउंसिलिंग का आयोजन किया जाता है। जिसमें अभ्यर्थी कहीं से भी जहाँ इन्टरनेट की सुविधा हो काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकता है। अभ्यर्थियों द्वारा आनलाईन विकल्प भरने के उपरान्त एन0आई0सी0 के द्वारा प्रवेश सूची भी इन्टरनेट के माध्यम से तथा मोबाईल के माध्यम से जारी की जाती है। काउंसिलिंग की तिथियों की सूचना परिषद् के द्वारा समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से प्रकाशित की जाती है।

संस्था में छात्र की उपस्थिति की अनिवार्यता सम्बन्धी विवरण

प्रवेश के उपरान्त छात्र को वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये 80 प्रतिशत उपस्थिति होनी अनिवार्य है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी का विवरण

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में परिषद् में प्रथम अपीलीय अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक सूचना अधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी है।

संस्थाओं में रैगिंग से सम्बन्धित नियम

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पालीटेकनिक संस्थाओं में रैगिंग किया जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित है। जिसके लिये प्रत्येक वर्ष समस्त पालीटेकनिकों में प्रधानाचार्यों द्वारा एन्टी रैगिंग स्ववायड की नियुक्ति किया जाना अनिवार्य है।

SIDE - 2

15. MOTHER'S NAME / माता का नाम

S U N I T A R A N I

16. MOBILE NUMBER	17. QUALIFYING EXAMINATION	18. Year of Passing Qualifying Examination	19. Preference for town / city for Exam, for 1st Pref	20. Preference for town / city for Exam, for 2nd Pref															
0 9 5 9 5 9 5 9 5 5	<table border="1"> <tr> <th></th> <th>Appeared</th> <th>Passed</th> </tr> <tr> <td>High School</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input checked="" type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>10 + 2 or Intermediate</td> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Degree in any discipline</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Diploma in Engineering</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </table>		Appeared	Passed	High School	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	10 + 2 or Intermediate	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Degree in any discipline	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Diploma in Engineering	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2 0 0 1	1 1	1 2
	Appeared	Passed																	
High School	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>																	
10 + 2 or Intermediate	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>																	
Degree in any discipline	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																	
Diploma in Engineering	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																	

आवश्यक निर्देश

- अभ्यर्थी आवेदन पत्र में गोले HB पेन्सिल से ही भरें।
- अलग-अलग ग्रुप हेतु अलग-अलग आवेदन पत्र भरें।
- GEN/OBC श्रेणी के अभ्यर्थी GEN/OBC श्रेणी के आवेदन पत्र एवं SC/ST श्रेणी के अभ्यर्थी SC/ST श्रेणी के आवेदन पत्र ही भरें।
- अभ्यर्थी क्रम सं० 7 में एक ही श्रेणी अथवा उपश्रेणी पर निश्चय लगाने पर प्रथमतः आरक्षण त्याग लेना हो। एक से अधिक श्रेणी अथवा उपश्रेणी पर गोला करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। साथ ही उक्त आरक्षण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने सम्बन्धी निर्देश विवरण पुरिसका में पढ़ लें।
- अभ्यर्थी जिस जिले में अपना प्रवेश पत्र बीगाना चाहते हैं उस जिले का कोड निम्न में से चयन कर क्र०सं० 11.1 पर अंकित करें:-

जिले का नाम	कोड	जिले का नाम	कोड	जिले का नाम	कोड	जिले का नाम	कोड
नेनीताल	A	अल्मोड़ा	B	उद्यम सिंह नगर	C	पिथौरगढ़	D
बाँसगाँव	E	बन्सगाँव	F	उत्तरकाशी	G	दिल्ली गढ़वाल	H
पीथौरगढ़	I	देहरादून	J	हरिद्वार	K	धर्मशाली	L
रूढ़ीपुरा	M						

उत्तराखण्ड से बाहर के अन्य राज्यों के लिये कोड N तथा भारत देश से बाहर के लिये कोड O अंकित करें।

- ओ०एम०आर० आवेदन पत्र पर क्र०सं० 19 एवं 20 पर निम्नानुसार शहर कोड का चयन करें:-

शहर का नाम कोड	शहर का नाम कोड	शहर का नाम कोड
रूढ़ी 11	पीथौर 18	नेनीताल 25
हरिद्वार 12	रूढ़ीपुरा 19	अल्मोड़ा 26
देहरादून 13	श्रीवाहा 20	दुमहाहाट 27
कठिवाँ 14	काशीपुर 21	पिथौरगढ़ 28
नई दिल्ली 15	रामनगर 22	बाँसगाँव 29
उत्तरकाशी 16	रूपपुर 23	लोहाघाट 30
श्रीनगर 17	हल्द्वानी 24	

- अभ्यर्थी कृपया यह नोट कर लें कि उनके द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु दिये गये प्रथम विकल्प परीक्षा केन्द्र पर यदि छात्रों की संख्या 100 से कम पायी जाती है तो उन्हें निकटतम परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जायेगा।
- ग्रुप E,P के अभ्यर्थी उपरोक्त समस्त शहरों में परीक्षा केन्द्र का चयन कर सकते हैं जबकि अन्य ग्रुपों A,M,I,G एवं M की परीक्षाएँ 8 शहरों नेनीताल, अल्मोड़ा काशीपुर, लोहाघाट, उत्तरकाशी, श्रीनगर, देहरादून एवं रुढ़ी में ही आयोजित की जायेगी।
- आवेदन पत्र प्रदेश के किसी भी पालीटेकनिक अथवा परिषद् कार्यालय में स्वयं अथवा पंजीकृत डाक से जमा किया जाना है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी अन्य स्थानों में आवेदन पत्र जमा न करें अन्यथा इसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी।
- अभ्यर्थी ओ०एम०आर० आवेदन पत्र की दोनों ओर की छाया प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। प्रवेश पत्र समय से न मिल पाने के समय इसी छायाप्रति के आधार पर बुल्डोकेट प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा।
- आवेदन पत्र में समस्त सूचनाएँ अभ्यर्थी स्वयं तथा सही भरें एक बार आवेदन पत्र जमा किये जाने के पश्चात कोई भी संशोधन मान्य नहीं होगा।
- अधिक जानकारी हेतु अभ्यर्थी पालीटेकनिक संस्थाओं/परिषद् से सम्पर्क करें।
नोट: उत्तराखण्ड के बाहर निवास करने वाले अभ्यर्थी (जिनके पास उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है) उसी देश में आवेदन पत्र भरें यदि उनके द्वारा न्यूनतम अर्हता की परीक्षा उत्तराखण्ड से उत्तीर्ण की गयी हो।

DECLARATION

I, certify that the particulars given by me in this Application Form are true and correct. Any mistake / misinformation detected at the time of admission or at any subsequent stage will result in the cancellation of admission. I have carefully read the Information Brochure for JEEP- 2012 and agree to abide by all the terms and conditions laid down therein. Further, it is entirely my responsibility to prove the eligibility for admission to the course to which I have applied herein. In respect of fulfillment of all eligibility criteria including qualification and domicile requirement. I also agree to accept the decisions of the organising institution of JEEP in respect of the examination and the Principal of the institution regarding admission.

Place: **ROORKEE**

Date: **15-03-2012**

Signature of Parent/Guardian

Signature of the Candidate